उत्तरांचल शासन

संख्या : 940/औ0वि0/07-उद्योग/2004-05

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव, औद्योगिक विकास,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास विभाग

देहरादून दिनांक : नवम्बर 9/10, 2004

विषय: निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिये भूमि की न्यूनतम सीमा निरन्तरता में 30 एकड़ होने पर राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों को चिन्हित (Identify)/घोषित (Declare) किये जाने के सम्बन्ध में नीति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा नये औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के चिन्हिकरण/घोषित किये जाने हेतु निम्नवत नीति निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :-

प्रदेश शासन द्वारा निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के चिन्हिकरण/घोषित किये जाने हेतु जहां पर चिन्हित क्षेत्र अथवा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित स्थान/क्षेत्र की भूमि निरन्तरता में 30 एकड़ से अधिक हो, को उद्योग संघों/प्रमोटर्स/निजी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के रूप में अधिसूचित/घोषित कर, चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र की भूमि की अतिरिक्तता हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जायेंगे।

1. निजी औद्योगिक क्षेत्रों के नाम उस क्षेत्र के राजस्व ग्राम के नाम से तथा जिस औद्योगिक संघ/प्रमोटर्स/निजी संस्था द्वारा प्रस्तावित किया गया हो, को फैसिलिटेटर के रूप में नामित करते हुये अधिसूचित किया जायेगा।

2. उद्योग संघों द्वारा प्रस्तावित निजी औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति, यदि 12.5 एकड़ से अधिक भूमि क्रय की जानी है, तो भू-संक्रमण का प्राधिकार, प्रदूषण नियंत्रण अनापत्ति, विद्युत तथा पानी की उपलब्धता, भवन कार्यशाला, सलपट मानचित्रों की विहित प्राधिकारी से स्वीकृति/अनुमोदन इत्यादि प्राप्त करने के लिये औद्योगिक विकास विभाग तथा उद्योग संघ फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करेंगे।

3. भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 जून, 2003 में अधिसूचित भूमि के खसरा नम्बरों की भूमि में से जिन औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्तरांचल में दिनांक 31 मार्च, 2004 से पूर्व भूमि -

इस पर उद्योग स्थापना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, ऐसी भूमि को राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित/विनियमित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी, ताकि ऐसी इकाईयों को विशेष पैकेज के अन्तर्गत सुविधायें प्राप्त हो सकें।

4. इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में औद्योगिक क्षेत्रों में पूर्व स्थापित उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए खसरा नम्बरों को अधिसूचित किया गया है। सीमा शुल्क एवं इनकम टैक्स की माफी का लाभ उठाने हेतु इन्हें भी औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना आवश्यक है। अतएव इन क्षेत्रों को भी विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा) 9/11/03
सचिव

पृ० सं० 9420/उक्त/ तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली
5. आयुक्त, कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
9. समस्त जिलाधिकारी।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
12. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र
14. NIC Uttaranchal : इस Report के [illegible] को [illegible] (Advisors [illegible]) website पर [illegible] [illegible]

9/11/03

(संजीव चोपड़ा)
सचिव

संख्या– 11/औ0वि0/07–उद्योग/2004

प्रेषक,

श्री रांजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल,देहरादून।

औद्योगिक विकास विभाग देहरादून दिनांक: 27 जनवरी 2004

विषय : उत्तरांचल राज्य में निजी क्षेत्र में नये औद्योगिक आस्थान केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक नीति 2003 के अन्तर्गत सरकार द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्रों, निर्यात क्षेत्रों,थीम पार्कों, बायोपालिस, पर्यटक स्थलों, विद्युत उर्जा उत्पादन, पारेषण व वितरण, सडकों, विमान पत्तन आई0सी0डी0, एकीकृत औद्योगिक नगरों, नागरिक अवस्थापनाओं सहित अन्य अवस्थाप्रना क्षेत्रों की परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की सहभागिता किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उद्योगों को बढावा देने की नीति के अर्न्तगत एवं प्रमुख औद्योगिक घरानों द्वारा उद्योगो की स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता को देखते हुये यह भी निर्णय लिया गया है कि नये औद्योगिक केन्द्रों को स्थापित करने एवं उनके विकास हेतु स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता देते हुए निजी क्षेत्र, अप्रवासी भारतीयों सार्वजनिक क्षेत्रों तथा सहकारिता, पंचायती राज, नगर पालिका परिषदों, आदि को इस हेतु प्रोत्साहित किया जाय। इस निमित राज्य उपक्रम उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0(सिडकुल) देहरादून को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। नोडल ऐजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार विभिन्न क्षेत्रों के संचालको/व्यवसायियों आदि से विचार–विमर्श किया गया है जिसके आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं अवस्थापना हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किये गये है:–

1. संस्था/व्यवसायी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 60 एकड भूमि तथा पर्वतीय इलाको में न्यूनतम 30 एकड भूमि क्रय स्वयं करेगी तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने हेतु प्रबन्धन करेगी।

2. इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व प्राधिकरण रेवेन्यू आथॉरिटी अग्नि शमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि द्वारा स्वीकृत/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि संबंधी जो वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होगी वह संस्था/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी।

शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु निर्गत किये गये आदेशों के अनुसार भू-उपयोग एवं (Building Bye-laws) आदि का अनुपालन किया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में (Development Authority) विकास प्राधिकरण का कार्य सिडकुल सम्पादित करेगी।

इसके अलावा संस्था/कम्पनी को समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।

औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने वाली संस्था/कम्पनियों के पास यह विकल्प होगा कि वे सिडकुल को 11 प्रतिशत की निःशुल्क इक्यूटि उपलब्ध कराकर सिडकुल की भागीदारी प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव दे सकती है। इस स्थिति में सिडकुल संस्था को औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु यथासम्भव सहयोग प्रदान करेगा।

ऐसे औद्योगिक आस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं की देखरेख, नालियों, सडकों का रखरखाव, प्रकाश व्यवस्थाओं तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी संबंधित संस्था/कम्पनी होगी।

कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित की गयी दरों पर विपणन, विकास आदि किये जायगें।

निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान बनाने हेतु इच्छुक उद्यमी/संस्था इस आशय का आवेदन संक्षिप्त प्रोजेक्ट प्रोफाईल/प्री-फिजिबल्टी रिपोर्ट के साथ संबंधित महा प्रबन्धक,जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में प्रस्तुत करेगें एवं महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र 15 दिन के अन्दर विस्तृत आख्या निदेशक उद्योग एवं सिडकुल को प्रेषित करेगें।

भवदीय

(संजीव चोपडा)
सचिव।

संख्या 11/1/औ0वि0/07-उद्योग/2004, तददिनांकितः-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0,देहरादून।
निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तरांचल को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इसे उत्तरांचल वैबसाईट में प्रसारित करने का कष्ट करें।
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन एवं सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

23/11/04

(संजीव चोपडा)
सचिव।

उत्तरांचल शासन,
औद्योगिक विकास विभाग,
संख्या 416 /आ0स0/औ0वि0/2004
देहरादून: दिनांक 29 जून, 2004

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति प्रदान करने हेतु मै0 मूलचंद इंडस्ट्रियल एस्टेट लि0 एवं राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 उत्तरांचल (सिडकुल) के साथ संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान की स्थापना हेतु 90 एकड़ भूमि में जो कि ग्राम रतनपुरा में स्थित है, को एतद्द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाता है। इस भूमि की खसरा संख्या सूची संलग्न है। यह सभी खसरा संख्या भारत सरकार द्वारा चिन्हित किये जाने हैं।

इस औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सभी उद्योगों को भारत सरकार के पत्र संख्या 1(10)/2001-NER दिनांक 07 जनवरी 2003 में घोषित विभिन्न छूट जैसे उत्पादन शुल्क, आय कर व केन्द्रीय पूंजी उपादान इत्यादि सुविधा भारत सरकार द्वारा खसरा संख्या चिन्हित होने के उपरांत अनुमन्य होगी।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव,

संख्या /उपरोक्त/2004 तददिनांकित
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 उत्तरांचल (सिडकुल)।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
7. संयुक्त निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, पटेल नगर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(पराग [illegible])
अपर सचिव।

CATEGORY E "INDUSTRIAL AREA IN JOINT SECTOR"

District:- UDHAMSINGH NAGAR

Village	Industrial Estate	Khasra No.s (Add)	Page No.	Tehsil
Ratanpur	Moolchand Industrial Estate Pvt. Ltd.	5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/7, 5/8/1 Mi, 5/8/2, 5/9, 5/10, 5/11, [illegible]/12, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, [illegible], 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 10/1, 8/1, 18/2, 35, 35/5/2, 36/1, 36/3, 36/2/1, 36/2/2, 36/4/2, [illegible], 37/6/2, 48/1, 48/2, 48/4, 50, 51	140	Bajpur

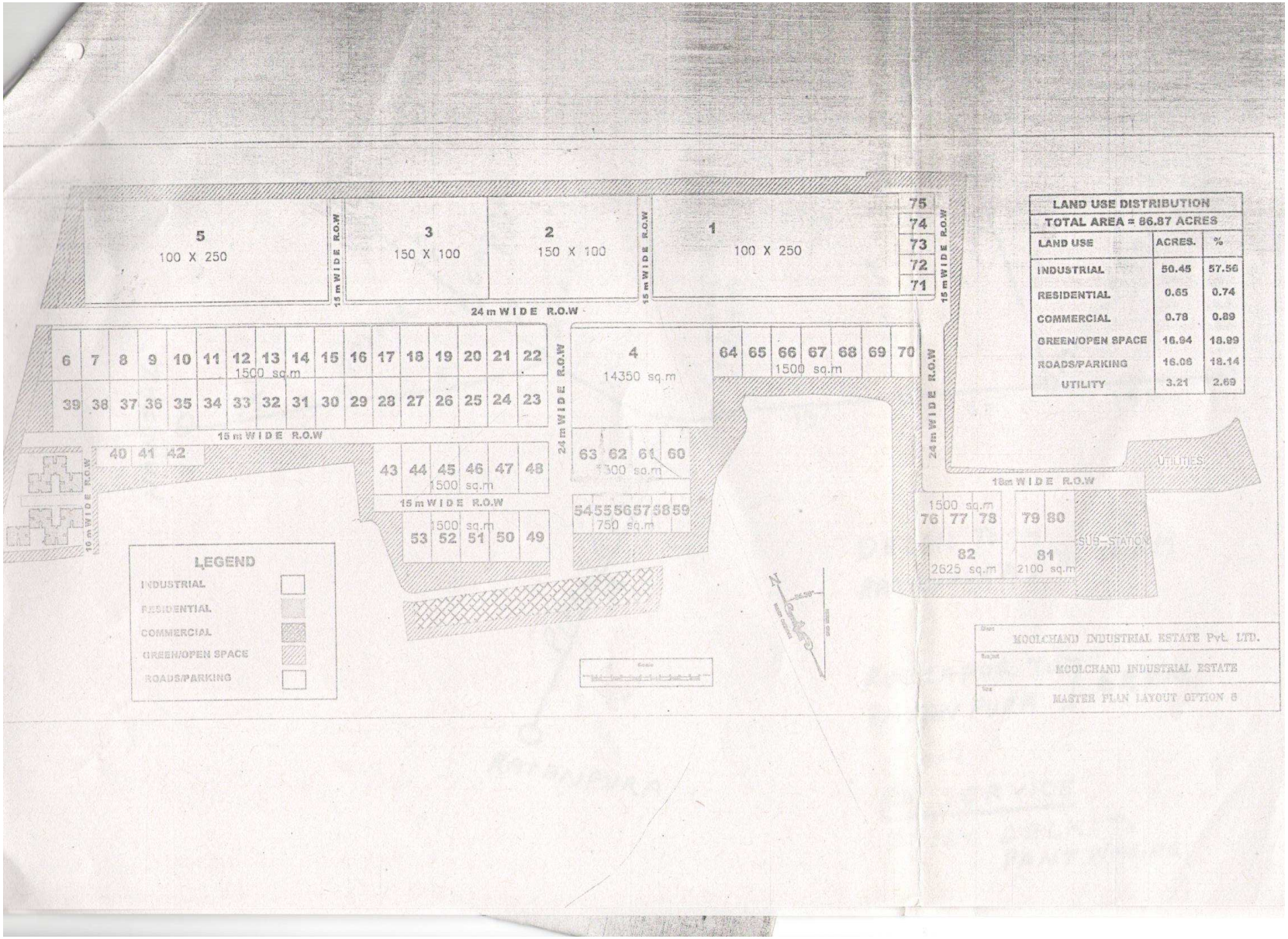

LAND USE DISTRIBUTION
TOTAL AREA = 86.87 ACRES

LAND USE	ACRES.	%
INDUSTRIAL	50.45	57.56
RESIDENTIAL	0.65	0.74
COMMERCIAL	0.78	0.89
GREEN/OPEN SPACE	16.94	18.99
ROADS/PARKING	16.06	18.14
UTILITY	3.21	2.69

MOOLCHAND INDUSTRIAL ESTATE Pvt. LTD.

MOOLCHAND INDUSTRIAL ESTATE

MASTER PLAN LAYOUT OPTION 8

BMV

(1)

उत्तरांचल शासन,
औद्योगिक विकास विभाग,
संख्या 418 /अ0स0/औ0वि0/2004
देहरादूनः दिनांक 29 जून, 2004

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति प्रदान करने हेतु मै0 सारा इंडस्ट्रियल इस्टेट लि0, देहरादून एवं राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 उत्तरांचल (सिडकुल) के साथ संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान की स्थापना हेतु 60 एकड़ भूमि में जो कि ग्राम शंकरपुर एवं हुकुमतपुर में स्थित है, को एतद्द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाता है। इस भूमि की खसरा संख्या सूची संलग्न है। इस भूमि के कुछ खसरा संख्या भारत सरकार द्वारा चिन्हित किये जाने हैं।

इस औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सभी उद्योगों को भारत सरकार के पत्र संख्या 1(10)/2001-NER दिनांक 07 जनवरी 2003 में घोषित विभिन्न छूटें जैसे उत्पादन शुल्क, आय कर व केन्द्रीय पूंजी उपादान इत्यादि सुविधा भारत सरकार द्वारा खसरा संख्या चिन्हित होने के उपरांत अनुमन्य होगी।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव,

संख्या /उपरोक्त/2004 तददिनांक्ति
प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 उत्तरांचल (सिडकुल)।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
7. संयुक्त निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, पटेल नगर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(पराग जैन)
अपर सचिव।

ANNEX — (A)

उत्तरांचल शासन,
आवास अनुभाग,
संख्या–1966/v/आ0–06–343(आ0)/2004
देहरादून : दिनांक 27 जून, 2006

अधिसूचना

चूंकि दून घाटी विशेष विकास क्षेत्र महायोजना–2001 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की एक सूचना दैनिक समाचार पत्रों (दैनिक जागरण एवं अमर उजाला) के दिनांक 16 मार्च, 2005 के अंक में प्रकाशित की गई थी, और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर राज्य सरकार को कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये है।

अतएव अब उत्तरांचल (उ0प्र0 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 की धारा–12 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल दूनघाटी विशेष विकास क्षेत्र महायोजना–2001 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते है:–

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम / खसरा नम्बर	रकबा / कुल क्षेत्रफल हैक्टेयर में	वर्तमान भू–उपयोग	प्रस्तावित भू–उपयोग
	शंकरपुर हुकुमतपुर		कृषि	औद्योगिक
1.	2394ख	0.8950		
	2442क	0.4220		
	2442ख	0.0970		
	2442ङ	0.6370		
	2442च	0.5060		
	2613क	0.1060		
	2624	0.4690		
	2628	0.7330		
	2629	0.9170		
	2630ग	0.0600		
	2642ग	0.1330		
	2642घ	0.1360		
	2644	0.3080		
	2646	0.0460		
	2647क	0.1040		
	2648ख	0.1640		
	कुल योग	5.7110 हैक्टेयर		

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव।

संख्या–1966/V/(1)आ0–2006–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 के संबंधित खण्ड में प्रकाशित करने का कष्ट करें। तथा 10 प्रतियां शासन को एवं 10–10 प्रतियां नीचे अंकित (क्रमांक–1 एवं 2 के) अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव।

संख्या–1966/V/(2)आ0–2006–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2. प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव।

ANNEX — B

FROM : SARA-SAE, DDN, (INDIA)......... PHONE NO. : 09101356731O9 JUN. 30 2005 11:58AM F

उत्तरांचल शासन,
आवास अनुभाग,
संख्या–2121/V/आ0–2005–343(सा0)/2004
देहरादून:: दिनांक:: 29 जून,2005

अधिसूचना

चूंकि दूनघाटी विशेष विकास क्षेत्र महायोजना–2001 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की एक सूचना दैनिक समाचार पत्रों (दैनिक जागरण एवं अमर उजाला) के दिनांक: 16 मार्च,2005 के अंक में प्रकाशित की गई थी, और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर राज्य सरकार को कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये है।

अतएव अब उत्तरांचल(उ0प्र0 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम–1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 की धारा–12 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल दूनघाटी विशेष विकास क्षेत्र महायोजना–2001 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते है:–

कमांक	ग्राम / खसरा नम्बर	रकबा / कुल क्षेत्रफल हैक्टेयर में	वर्तमान भू–उपयोग	प्रस्तावित भू–उपयोग
1	सेन्ट्रल होपटाउन		कृषि	औद्योगिक
	1/1/3मि0,	2.2065		
	1/1मि0	2.0445		
2.	शंकरपुर हुकुमतपुर			
	2393क,	0.0040		
	2393ख	0.0150		
	2394क,	0.3790		
	2402क,	0.7490		
	2402ख	0.0240		
	2402ग	0.5300		
	2410क	0.1538		
	2410ख	0.1180		
	2411	0.3080		
	2412	0.1900		
	2413	0.3300		
	2414क	0.6970		
	2414ख	0.2230		
	2423	0.0400		

INDUSTRIAL ESTATE 7/1 Pritam Road Dehradun 248001

	2436	0.1175	कृषि	औद्योगिक
	2442ग	0.1170		
	2442घ	0.7690		
	2459क	0.0240		
	2468	0.1170		
	2469	0.1110		
	2483	0.0300		
	2490क	0.0200		
	2490ख	0.0100		
	2491	0.0800		
	2492	0.2720		
	2494क	0.0850		
	2494ख	0.1540		
	2495क	0.0770		
	2495ख	0.0330		
	2496	0.0450		
	2499क	0.1940		
	2500	0.1566		
	2501क	0.0500		
	2501ख	0.0400		
	2501ग	0.1940		
	2510	0.4330		
	2513ख	0.1090		
	2513ग	0.2150		
	2513घ	0.2140		
	2514	0.1700		
	2515क	0.2200		
	2515ख	0.1980		
	2516	0.5200		
	2517	0.3840 ✓		
	2518	0.1100 ✓		
	2519	0.2600		
	2520	0.3500		
	2521	0.0300		
	2522	0.4850		
	2526	0.2388		
	2530	0.2470		
	2531क	0.0643		
	2533	0.1700		
	2534	0.1700		
	2536	0.1578		
	2537	0.1700		
	2538	0.1700		
	2540क	0.0330		
	2542क	0.0760		

7/1 Pritam Road Dehradun

	2542ख 2543 2547ख 2548क 2550 2553	0.0730 0.2300 0.0700 0.0200 0.1300 0.8700		
	कुल योग	17.2858 हैक्टेयर		

(पी०सी० शर्मा)
सचिव।

संख्या– /V/(1)आ0–2005–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की(हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 के संबंधित खण्ड में प्रकाशित करने का कष्ट करें। तथा 10 प्रतियां शासन को एवं 10–10 प्रतियां नीचे अंकित (क्रमांक–1 एवं 2 के) अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव।

संख्या–212(1)/V/(2)आ0–2005–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2. प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव।

INDUSTRIAL ESTATE LTD. Dehradun 248001 (INDIA)

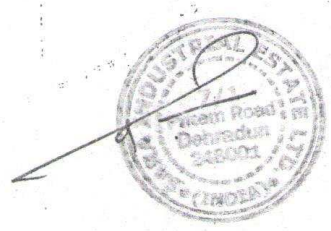

ANNEX – C

उत्तरांचल शासन,
आवास अनुभाग,
संख्या–२५५५/v/आ0–2005–343(सामान्य)/2004
देहरादूनः दिनांकः 18 सितम्बर, 2006

अधिसूचना

चूंकि दूनघाटी विशेष विकास क्षेत्र महायोजना–2001 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की एक सूचना दैनिक समाचार पत्रों (दैनिक जागरण एवं अमर उजाला) के दिनांक 05 अगस्त, 2006 के अंक में प्रकाशित की गई थी, और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर राज्य सरकार को कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतएव अब उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम–1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 की धारा–12 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल दूनघाटी विशेष विकास क्षेत्र महायोजना–2001 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

अनुसूची

क0 सं0	ग्राम का नाम	भू–उपयोग हेतु प्रस्तावित खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)	महायोजना में वर्तमान भू–उपयोग	प्रस्तावित भू–उपयोग
01	शंकरपुर हुकूमतपुर	2531 ख	0.5100	कृषि	औद्योगिक
		2532	0.5000		
		2535	0.5500		
		2539	0.5680		
		2541क	0.0100		
		कुल योग	2.138 हैक्टेयर		

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

7/1 Pritam Road Dehradun 248001 (INDIA)

SARA INDUSTRIAL ESTATE LIMITED

Details of Khasra Numbers

Village Shankarpur – Hakumatpur (Tehsil : Vikas Nagar)

2442Rh, 2413, 2515A, 2516 to 2518, 2520, 2521, 2442A, 2469, 2490B, 2495B, 2414A, 2500, 2501A, 2501B, 2501M, 2501C, 2454, 2455, 2510, 2436A, 2412, 2442Ch, 2499, 2442B, 2414B, 2494B, 2495A and 2513A

2393Ka, 2393Kha, 2394Ka, 2394Kha, 2399Ka, 2401, 2402Ga, 2402KaM, 2410, 2410Kha, 2411, 2414, 2436, 2442Ga, 2453, 2459Ka, 2468, 2483, 2490Ka, 2491, 2492, 2494Ka, 2510, 2513Kha, 2513Ga, 2514, 2515Kha, 2522, 2524 to 2530, 2530Ga, 2531Ka, 2533, 2534, 2536 to 2538, 2540, 2542, 2542Ka, 2542Kha, 2542Ga, 2543 to 2547, 2548Ka, 2548Kha, 2550 and 2553

2442Gha, 2442Angha, 2513 GHA, 2519 and 2496.

Village Central Hope Town (Tehsil – Vikas Nagar)

1/1/3 M and 1/1/m

ANNEXURE -(E)

SIDA

STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF UTTARANCHAL.

2-New Cantt. Road, DehraDun - 248001
Phone - 0135-2743292, 2743297, 2743838, 2743837
Fax - 0135-2743288 Website:- www.sidcul.com

APPROVAL LETTER FOR LAYOUT OF INDUSTRIAL ESTATES

Letter No. 9453/CEO/SIDA/08 Dated: 10/03/08
Map No. SIDA/ SARA-IEL/01/ REV.-2/2007-08

M/s. SARA Group Of Industries,
7/1, Pritam Road, Dehradun-248001.

This is in reference to your revised application dated 20/12/07 for approval of revised master plan for **SARA INDUSTRIAL ESTATE LTD., Village Hukumatpur-Shankarpur & Central Hope Town, Block Vikasnagar, Dehradun**, the layout plan is approved with the following conditions:

1. This layout plan is valid for 3 years from the date of approval.
2. The provision of infrastructure indicated in the plan is the sole responsibility of the developer.
3. There shall be no change in the land use without approval of SIDA.
4. There shall be no encroachment of any kind in common areas.
5. Provision for disposal of garbage, solid waste, and industrial waste/ effluents etc. shall be made by the developer/promoter, satisfying the standards of state Pollution Control Board.
6. Clearance from all other concerned departments has to be taken before the start of the development work.
7. It would be the responsibility of the developer / promoter to ensure compliance to environmental norms.
8. SIDA holds no responsibility for land title status.
9. Developing of the layout plan should be in accordance with the rules & regulations as mentioned in GIDCR-2005.
10. Even after seeking permission/ approval from SIDA, if it is found that the permission /approval was sought on the basis of forged documents/ false information, the C.E.O, SIDA can reject the approved plan and any construction on site will be considered unauthorized.

11. If any encroachment is done on the ceiling land/Nazul land or any public land this sanction will be treated cancelled.

12. Provision of rain water harvesting is to be confirmed to the Authority after completion & disposal of rain water to be properly planned.

13. All the industrial units/ commercial plot holders inside this developed area will be entitled to submit their building plan for approval before starting their construction.

14. Change of land use as applicable for your Industrial estate will be mandatory & abiding upon you as per the norms.

Chief Executive Officer
S.I.D.A. 173

ANNEXURE – (F)

List of Plot Holders

S.NO.	PARTY NAME	PLOT NO.
1	M/S SARA SAE PVT LTD	A-2
2	M/S DWD PHARMACEUTICALS LTD.	A-3
3	M/S OLIVE SOFT GEL PVT LTD	A-4
4	M/S AVON BEAUTY PRODUCTS INDIA (p) LTD	A-5
5	M/S HARSH BEAUTY CARE PRODUCTS (P) LTD	A-6
6	M/S GOOD CARE PHARMA (P) LTD	B-1
7	M/S ADHUNIK YANTRA UDYOG (p) LTD	B-2
8	M/S PACKAIDE CORPORATION	B-3
9	M/S PLANET HERBS LIFESCIENCES PVT LTD	B-4
10	M/S TECH SCIENT TRADING CORPORATION	B-5/6
11	M/S RAMO ENGINEERING WORKS	B-7
12	M/S Dr. AMITA CHOUDHARY	B-8
13	M/S TRIOKA PHARMACEUTICALS LTD	C-1
14	INVOLUTE ENGINEERING PRIVATE LTD	C-4
15	M/S SVP LIFESCIENCE (P) LTD	C-10/1
16	M/S MITTAL LABORATORIES (P) LTD	C-10/2
17	M/S J K PRINTPACK	C-11
18	M/S GORISA HANDICRAFT & DESIGN (P) LTD	C-12
19	M/S RHYDBURG PHARMACEUTICALS LTD	C-2/3
20	M/S IPCA LABORATORIES LTD.	C-6
21	M/S SUVEAR PHARMACEUTICALS	C-7
22	M/S VITAL HELESYS (P) LTD	C-8
23	M/S VEMSO BIOTEC (P) LTD	C-9
24	M/S CEECURE PHARMA (P) LTD	D-1
25	M/S JINDAL PE-X TUBES (P) LTD	D-10
26	M/S TOLLY PRODUCTS PVT LTD	D-11
27	M/S SUNRAY LIGHTING PVT LTD	D-2

28	M/S ARMORE HEALTHCARE	D-3
29	M/S KF INTERNATIONAL	D-4
30	M/S ECELIOR FOOTWARE	D-4/A
31	M/S NIRMAL MINAWALA C/o AROMA TREASURES	D-5
32	M/S BRIJ MOHAN PACKAGING (p) LTD	D-6
33	M/S RAGHU CONSULTANT (P) LTD	D-7
34	M/S CHEMICAL SYSTEMS PVT LTD	D-8
35	M/S RAJLAXMI AGRO CORPORATION	D-9

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन
संख्या 939 /औ0वि0/07–उद्योग/04
दिनांकः नवम्बर, 10,2004

कार्यालय ज्ञाप

उद्योग संघों के प्रस्तावों पर निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के विनियमन/घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों की सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में दिनांक 1 नवम्बर, 2004 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क–2003 दिनांक 10 जून, 2003 से जनपद–हरिद्वार के अन्तर्गत प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में ग्राम–रायपुर, परगना–भगवानपुर, तहसील–रूड़की की अधिसूचित भूमि के खसरा नम्बरों को, जिनका कुल क्षेत्रफल निरन्तरता में 30 एकड़ से अधिक है, तथा जिनका विवरण **एनेक्चर–"ए"** पर संलग्न है, शासन द्वारा इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, देहरादून के प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त ग्राम–रायपुर, परगना–भगवानपुर, तहसील–रूड़की को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/घोषित किया जाता है।

चूंकि इस औद्योगिक क्षेत्र की भूमि निजी काश्तकारों एवं निजी स्थापित/स्थापनाधीन औद्योगिक इकाईयों के स्वामित्व में है, अतः इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाईयों को स्थापना के सन्दर्भ में समस्त वांछित स्वीकृतियों एवं अन्य वैधानिक औपचारिकताओं हेतु नियमतः स्वीकृतियॉ प्राप्त करनी आवश्यक होंगी। इस औद्योगिक क्षेत्र के रख–रखाव इत्यादि के लिये इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन फैसिलिटेटर का कार्य करेगा।

(संजीव चोपड़ा) 9/11/04
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 939 /औ0वि0/07–उद्योग/2004 दिनांकः नवम्बर, 10, 04
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग।
2. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल, देहरादून।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय(औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, मोहब्बेवाला, औद्योगिक क्षेत्र, देहरादून को उनके प्रस्ताव दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 के सन्दर्भ में।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
10. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की(हरिद्वार)।

(संजीव चोपड़ा) 9/11/04
सचिव।

KC

Annexure-A

Details of Khasra Nos. of Land, Village-Raipur, Pargana- Bhagwanpur, Tehsil-Roordee (District-Haridwar) notified in Govt. of India,s Notification No. 50/Central Excise-2003 Dated 10th June' 2003 as Proposed Industrial Area/Estates.

Sl. No.	Name of the Industrial Area/Region	Names of villages coming in Industrial Area	Khasara Nos.	Name of Tehsil
1	2	3	4	5
1.	Raipur, Bhagwanpur	Raipur	71to99,100, 101,102,103, 103M,104to220, 223,232,234to 246,259to275, 302to378	Roorkee

Secretary
Industrial Development

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 998 /औ.वि./07–उद्योग/2004–05
दिनांक : देहरादून : 16 नवम्बर, 2004

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन कुमांऊ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर) के प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ग्राम गंगापुर रकबा, तहसील काशीपुर, जिला–उद्यमसिंहनगर में चिन्हित 14.823 हैक्टेयर भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित हैं, को **गंगापुर औद्योगिक क्षेत्र** के रूप में निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ निजी क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र घोषित/अधिसूचित किया जाता है :–

1. शासन के परिपत्र संख्या–940 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 के प्रस्तर–1 के अनुसार निजी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित/घोषित भूमि के **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित खसरा नंबर अधिसूचित किये जाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाने आवश्यक होंगे। अतः राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ, भारत सरकार से इन खसरा नंबरों की अधिसूचना जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा।
2. चूंकि इस औद्योगिक क्षेत्र की भूमि निजी काश्तकारों एवं निजी औद्योगिक इकाईयों के स्वामित्व में हैं, अतः इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाईयों को स्थापना के सन्दर्भ में सम्बन्धित विभागों से समस्त वांछित स्वीकृतियां एवं अनुमोदनों हेतु नियमतः स्वीकृतियां प्राप्त करनी आवश्यक होंगी।
3. इस औद्योगिक क्षेत्र के रख–रखाव इत्यादि के लिए कुमांऊ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, काशीपुर फैसिलिटेटर का कार्य करेगा।
4. निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

क्रमशः 2

पृष्ठांकन संख्या ११४ /उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
7. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून
10. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
11. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
12. मै. कुमांऊ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, औद्योगिक आस्थान, बाजपुर रोड़, काशीपुर।
13. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या ११४ /औ.वि./07–उद्योग/04–05

चिन्हित औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

गंगापुर औद्योगिक क्षेत्र,
ग्राम–गंगापुर रकबा, तहसील–काशीपुर
(उद्यमसिंहनगर)।

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम गंगापुर रकबा, तहसील–काशीपुर।	37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 54 तथा 55	14.823 हेक्टेयर (36.625 एकड़)

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 1025 /औ.वि./07–उद्योग/2004–05
दिनांक : देहरादून :03 दिसम्बर, 2004
जनवरी, 2005

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ. वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन दभौरा एहतमाली, काशीपुर, जिला उद्यमसिंहनगर में श्री वसीम अहमद खान पुत्र श्री हाजी तसलीम अहमद खान, हाजी तसलीम अहमद खान पुत्र श्री इब्राहिम अहमद खान एवं फरहा वसीम पुत्री श्री वसीम अहमद खान, निवासी गंगापुर गुसांई, तहसील काशीपुर (उद्यमसिंहनगर) द्वारा चिन्हित/संक्रमित कुल रकबा 70.71 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित हैं, की सीमा निरंतरता में 30 एकड़ से अधिक होने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. ओमेगा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, दभौरा एहतमाली, काशीपुर (उद्यमसिंहनगर) नाम से निजी क्षेत्र का औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र घोषित/अधिसूचित किया जाता है :–

1. शासन के परिपत्र संख्या–940 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 के प्रस्तर–1 के अनुरूप निजी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित/घोषित भूमि के अनुलग्नक–1 में उल्लिखित खसरा नंबर अधिसूचित किये जाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने आवश्यक होंगे। अतः राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ, भारत सरकार से इन खसरा नंबरों की अधिसूचना जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा।

2. चूंकि इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रमोटर्स/साझेदारों के स्वामित्व में है, अतः इस आस्थान में स्थापित होने वाली इकाईयों की स्थापना के सन्दर्भ में सम्बन्धित विभागों से समस्त वांछित स्वीकृतियों एवं अनुमोदनों हेतु नियमतः स्वीकृतियां प्राप्त करनी आवश्यक होंगी।

3. निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

क्रमशः 2

पृष्ठांकन संख्या /उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
7. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून
10. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
11. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
12. मै. श्री वसीम अहमद खान, प्रबन्ध साझीदार, मै. ओमेगा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम दभौरा एहतमाली, बाजपुर रोड़, काशीपुर, जिला–उद्यमसिंहनगर।
13. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)

सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 1025 / औ.वि. / 07–उद्योग / 04–05
दिनांक : देहरादून : ~~दिसम्बर~~ 3 जनवरी, 2004

चिन्हित औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. ओमेगा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम दभौरा एहतमाली, काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर)।

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम दभौरा एहतमाली, तहसील–काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर)।	70 मि., 71 मि., 72 मि., 73 मि. 72 मि., 72 मि., 73 मि., 70 मि., 70 मि. एवं 71 मि.	70.71 एकड़

(संजीव चोपड़ा) 3/1/04
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 1052 **/औ.वि./07–उद्योग/2004–05**
दिनांक : देहरादून : 15 **जनवरी, 2005**

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ. वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन मै. काशी विश्वनाथ स्टील्स लि., नारायण नगर, बाजपुर रोड़, काशीपुर तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों द्वारा ग्राम–हेमपुर इस्माईल, कुण्डेश्वरा, शिवलालपुर डल्लू में चिन्हित/संक्रमित 39.613 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित हैं, की सीमा निरंतरता में 30 एकड़ से अधिक होने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. नारायण नगर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–हेमपुर इस्माईल/कुण्डेश्वरा/शिवलालपुर डल्लू, तहसील–काशीपुर (उद्यमसिंहनगर) को निजी क्षेत्र का औद्योगिक आस्थान घोषित/अधिसूचित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1, प्रस्तर–"क"** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क–2003 दिनांक 10 जून, 2003 में Category-C : Industrial Activity in Non Industrial Areas के अन्तर्गत अधिसूचित हैं तथा इस अधिसूचित भूमि पर भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7 जनवरी, 2003 द्वारा घोषित/प्रदत्त विशेष प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Incentives) का लाभ स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य होगा। **अनुलग्नक–1, प्रस्तर–ख** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर अधिसूचित किये जाने हेतु भारत सरकार को अग्रसारित किये जायेंगे, जिन पर भारत सरकार की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त ही विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. चूंकि इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रमोटर्स/साझेदारों के स्वामित्व में है, अतः इस आस्थान में स्थापित होने वाली इकाईयों की स्थापना के सन्दर्भ में सम्बन्धित विभागों से समस्त वांछित स्वीकृतियां एवं अनुमोदनों हेतु नियमतः स्वीकृतियां प्राप्त करनी आवश्यक होंगी।

3. इस औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य, आस्थान के प्रमोटरों द्वारा स्वयं किया जायेगा।

4. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

क्रमशः 2

पृष्ठांकन संख्या 1052 / उक्त / तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
7. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून
10. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
11. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
12. मै. नारायण नगर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–हेमपुर इस्माईल / कुण्डेश्वरा / शिवलालपुर डल्लू, तहसील–काशीपुर (उद्यमसिंहनगर) द्वारा मै. काशी विश्वनाथ स्टील्स, लि., नारायण नगर, बाजपुर रोड़, काशीपुर (उद्यमसिंहनगर)।
13. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 1052 /औ.वि./07–उद्योग/04–05
दिनांक : देहरादून :15 जनवरी, 2005

चिन्हित औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. नारायण नगर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम हेमपुर इस्माईल/शिवलालपुर डल्लू/कुण्डेश्वरा, तहसील काशीपुर (जिला उद्यमसिंहनगर)।

(क) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क–2003 दिनांक 10 जून, 2003 में अधिसूचित भूमि के खसरा नंबरों का विवरणः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
हेमपुर इस्माईल	64/1, 64/2, 65/1, 66/1, 66/2	19.698 एकड़
कुण्डेश्वरा	22, 25/1, 25/2, 25/3	10.774 एकड़

(ख) भारत सरकार को अधिसूचित किये जाने हेतु भेजे जाने वाले खसरा नंबरों का विवरणः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
कुण्डेश्वरा	27, 27मि., 28, 28मि, 48मि, 49मि	7.142 एकड़
शिवलालपुर डल्लू	30मि, 34मि	1.999 एकड़

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

संख्या 25 /सात–1/औ.वि./07–उद्योग 2006

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

प्रेषित,

मै. नारायण नगर इण्डस्ट्रियल इस्टेट,
हेमपुर इस्माईल, कुण्डेश्वरा, शिवलालपुर डल्लू,
प्रवर्तक मै. काशी विश्वनाथ स्टील्स प्रा.लि.,
नारायण नगर, काशीपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग **देहरादून : दिनांक : 20 अप्रैल, 2006**

विषय : उत्तरांचल में निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके प्रस्ताव दिनांक 25–2–2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–27/2005–सी.ई. दिनांक 19 मई, 2005 के Annexure-III में जिला उद्यमसिंहनगर के अन्तर्गत क्रमांक–8 पर नारायण नगर इण्डस्ट्रियल इस्टेट के सम्मुख ग्राम–हेमपुर इस्माईल, कुण्डेश्वरा, शिवलालपुर डल्लू में अधिसूचित भूमि के निम्न खसरा नम्बरों को औद्योगिक विकास अनुभाग–1, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1052/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 15 जनवरी, 2005 से निजी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित/घोषित मै. नारायण नगर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, हेमपुर इस्माईल, कुण्डेश्वरा, शिवलालपुर डल्लू में सम्मिलित (add)/औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/घोषित किये जाने की स्वीकृति कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15 जनवरी, 2005 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है :–

औद्योगिक आस्थान का नाम	**औद्योगिक आस्थान के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम का नाम**	**भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–27/2005–सी.ई. दिनांक 19 मई, 2005 के Annexure-III में जिला उद्यमसिंहनगर के अन्तर्गत क्रमांक–8 पर अधिसूचित खसरा नम्बरों का विवरण एवं क्षेत्रफल**	**तहसील का नाम**
नारायण नगर इण्डस्ट्रियल इस्टेट	हेमपुर इस्माईल, कुण्डेश्वरा, शिवलालपुर डल्लू	48मि. एवं 49मि. (क्षेत्रफल 4 एकड़)	काशीपुर

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

लैटर2(केसीटी)हिन्दी

पृष्ठांकन संख्या 24 /उक्त, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तरांचल शासन।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
7. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून
10. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
11. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
12. निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल।
13. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

लैटर२(केसीटी)हिन्दी

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 1053 / औ.वि. / 07–उद्योग / 2004–05
दिनांक : देहरादून : 15 जनवरी, 2005

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940 / औ. वि. / 07–उद्योग / 2004–05 दिनांक 9 / 10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों / क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति / दिशा निर्देशों के अधीन मै. जिन्दल पॉलीमर प्रोडक्ट्स प्रा. लि., गोपी कृपा कुंज, रामनगर रोड, काशीपुर तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों द्वारा ग्राम–पट्टी भज्जर, तहसील–काशीपुर (जिला उद्यमसिंहनगर) में चिन्हित / संक्रमित 31.40 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित हैं, की सीमा निरंतरता में 30 एकड से अधिक होने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. भीमनगर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, पट्टी भज्जर ग्राम–भीमनगर पोस्ट–कुण्डेश्वरी, तहसील–काशीपुर (उद्यमसिंहनगर) को निजी क्षेत्र का औद्योगिक आस्थान घोषित / अधिसूचित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1, प्रस्तर–"क"** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50 / केन्द्रीय उत्पाद शुल्क–2003 दिनांक 10 जून, 2003 में Category-C : Industrial Activity in Non Industrial Areas के अन्तर्गत अधिसूचित हैं तथा इस अधिसूचित भूमि पर भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7 जनवरी, 2003 द्वारा घोषित / प्रदत्त विशेष प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Incentives) का लाभ स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य होगा। **अनुलग्नक–1, प्रस्तर–ख** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर अधिसूचित किये जाने हेतु भारत सरकार को अग्रसारित किये जायेंगे, जिन पर भारत सरकार की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त ही विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. चूंकि इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रमोटर्स / साझेदारों के स्वामित्व में है, अतः इस आस्थान में स्थापित होने वाली इकाईयों की स्थापना के सन्दर्भ में सम्बन्धित विभागों से समस्त वांछित स्वीकृतियां एवं अनुमोदनों हेतु नियमतः स्वीकृतियां प्राप्त करनी आवश्यक होंगी।

3. इस औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य, आस्थान के प्रमोटरों द्वारा स्वयं किया जायेगा।

4. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

क्रमशः 2

पृष्ठांकन संख्या 1053/उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
7. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून
10. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
11. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
12. मै. भीमनगर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ललिता उद्यान, पट्टी भज्जर ग्राम–भीमनगर पोस्ट–कुण्डेश्वरी, तहसील–काशीपुर (उद्यमसिंहनगर) द्वारा मै. जिन्दल पॉलीमर प्रोडक्ट्स प्रा. लि., गोपी कृपा कुंज, रामनगर रोड़, काशीपुर।
13. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या /053 /औ.वि./07–उद्योग/04–05
दिनांक : देहरादून :/5जनवरी, 2005

चिन्हित औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. भीमनगर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ललिता उद्यान, पट्टी भज्जर (Patti Bazar) ग्राम–भीमनगर पोस्ट–कुण्डेश्वरी, तहसील–काशीपुर (उद्यमसिंहनगर)।

(क) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क–2003 दिनांक 10 जून, 2003 में अधिसूचित भूमि के खसरा नंबरों का विवरण:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
पट्टी भज्जर (Patti Bazar)	117, 119, 120मि, 122, 124, 126 से 129, 130मि, 139,	28.75 एकड़

(ख) भारत सरकार को अधिसूचित किये जाने हेतु भेजे जाने वाले खसरा नंबरों का विवरण:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
पट्टी भज्जर	139/2, 141, 143, 144मि	2.65 एकड़

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 1054 /औ.वि./07–उद्योग/2004–05
दिनांक : देहरादून :15 जनवरी, 2005

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ. वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन मै. आदर्श औद्योगिक एवं आवासीय स्वायत्त सहकारिता, 41–सी/2, राजपुर रोड़, देहरादून द्वारा ग्राम–रायपुर, सिकन्दरपुर मैसवाल, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की (जिला हरिद्वार) में चिन्हित/संक्रमित 34.31 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित हैं, की सीमा निरंतरता में 30 एकड़ से अधिक होने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. रायपुर सहकारी औद्योगिक क्षेत्र, रूड़की (हरिद्वार) नाम से सहकारिता क्षेत्र का औद्योगिक आस्थान घोषित/अधिसूचित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1, प्रस्तर–"क"** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क–2003 दिनांक 10 जून, 2003 में Category-B : Proposed Industrial Areas/Estates के अन्तर्गत अधिसूचित हैं तथा इस अधिसूचित भूमि पर भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7 जनवरी, 2003 द्वारा घोषित/प्रदत्त विशेष प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Incentives) का लाभ स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य होगा। **अनुलग्नक–1, प्रस्तर–ख** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर अधिसूचित किये जाने हेतु भारत सरकार को अग्रसारित किये जायेंगे, जिन पर भारत सरकार की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त ही विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. चूंकि इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, प्रमोटर सहकारी समिति के सदस्यों/निजी काश्तकारों के स्वामित्व में है, अतः इस आस्थान में स्थापित होने वाली इकाईयों की स्थापना के सन्दर्भ में सम्बन्धित विभागों से समस्त वांछित स्वीकृतियां एवं अनुमोदनों हेतु नियमतः स्वीकृतियां प्राप्त करनी आवश्यक होंगी।

3. इस औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य, प्रमोटर सहकारी समिति द्वारा स्वयं किया जायेगा।

4. सहकारी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा) 15/1/05
सचिव।

क्रमशः 2

पृष्ठांकन संख्या 1054/उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून
10. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
11. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
12. मै. रायपुर सहकारी औद्योगिक क्षेत्र, रूड़की (हरिद्वार) द्वारा सचिव, मै. आदर्श औद्योगिक एवं आवासीय स्वायत्त सहकारिता, 41–सी/2, राजपुर रोड़, देहरादून
13. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 1054 /औ.वि./07–उद्योग/04–05
दिनांक : देहरादून :15 जनवरी, 2005

चिन्हित औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. रायपुर सहकारी औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर–भगवानपुर, तहसील–रूड़की (जिला हरिद्वार) (प्रवर्तक : आदर्श औद्योगिक एवं आवासीय स्वायत्त सहकारिता, 41–सी/2, राजपुर रोड़, देहरादून)।

(क) **भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क–2003 दिनांक 10 जून, 2003 में अधिसूचित भूमि के खसरा नंबरों का विवरण:–**

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
ग्राम–रायपुर, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की	77, 78, 80क, 80ख, 81, 83, 84, 84क, 84ग, 85, 86, 87, 88 एवं 90	33.87 एकड़

(ख) **भारत सरकार को अधिसूचित किये जाने हेतु भेजे जाने वाले खसरा नंबरों का विवरण:–**

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
ग्राम–सिकन्दरपुर मैसवाल	192 व 194	0.44 एकड़

15/1/05
(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 48 /औ.वि./07–उद्योग/2005–06
दिनांक : देहरादून : 7 अप्रैल, 2005

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ. वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन मै. कुमार इण्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाईटी लि., रानपुर रोड, रुद्रपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर) द्वारा ग्राम–मटकोटा, तहसील किच्छा (जिला–उद्यमसिंहनगर) में चिन्हित/संक्रमित 38.251 एकड (15.62 हैक्टेयर) भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1(क) एवं (ख)** में उल्लिखित हैं, की सीमा निरंतरता में 30 एकड से अधिक होने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. कुमार इण्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–मटकोटा, तहसील–किच्छा (जिला–उद्यमसिंहनगर) को सहकारिता क्षेत्र का औद्योगिक आस्थान घोषित/अधिसूचित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1(क)** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 में Category-C : गैर औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि शीर्ष के अन्तर्गत अधिसूचित हैं तथा इन खसरा नंबरों मे स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा। ज्ञाप के **अनुलग्नक–1(ख)** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ. शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 में अधिसूचित नहीं है, अतः आस्थान की Un-notified भूमि में स्थापित होने वाली थ्रस्ट सैक्टर इकाईयों को छोडकर अन्य औद्योगिक इकाईयों को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

2. समिति के प्रस्ताव के अनुसार **अनुलग्नक–1(ख)** में उल्लिखित भूमि थ्रस्ट सैक्टर के उद्योगों हेतु आरक्षित की गई है, अतः इस भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार से अधिसूचित कराये जाने आवश्यक नही है।

3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, सहकारी समिति के सदस्यों के स्वामित्व में है, अतः इस आस्थान में स्थापित होने वाली इकाईयों की स्थापना के सन्दर्भ मे आस्थान के प्रवर्तकों/समिति के अधिकृत सदस्य द्वारा सम्बन्धित विभागों से समस्त वांछित स्वीकृतियां एवं अनुमोदनों हेतु नियमतः स्वीकृतियां प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4(अ). इस औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य, आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा स्वयं किया जायेगा।

4(ब). इसके साथ ही नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व GDCR–2004 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग

Contd.

परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् मानचित्र व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करानी होगी।

5. निजी/संयुक्त/सहकारिता क्षेत्र के औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य दिशा निर्देशों एवं मानकों का पूर्णतः पालन करना आवश्यक होगा।

6. निजी/सहकारिता औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 48 /उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
7. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
10. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
11. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
12. मै. कुमार इण्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाईटी लि., रामपुर रोड, रुद्रपुर (जिला-उद्यमसिंहनगर)।
13. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वेबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

त्रिपाठी

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 48 /औ.वि./07–उद्योग/05–06
दिनांक : देहरादून : 3-अप्रैल, 2005

सहकारी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. कुमार इण्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–मटकोटा, तहसील–किच्छा (जिला–उधमसिंहनगर)।

(क) अधिसूचित (Notified) :

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
मटकोटा	68, 69/1 एवं 69/1	23.25 (9.555 हैक्ट०)

(ख) अनाधिसूचित (Un-notified) :

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
मटकोटा	53	15.00 (6.065 हैक्ट०)

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 53 /औ.वि./07–उद्योग/2005–06
दिनांक : देहरादून : ~~अप्रैल, 2006~~ 10 मई, 2005

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ. वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन मै. कुमांऊ गढ़वाल इन्फ्रास्ट्रक्चरल इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि., गोपी कृपा कुंज, रामनगर रोड़, काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर) द्वारा ग्राम–दभौरा मुस्त्हकम, तहसील काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर) में चिन्हित/संक्रमित 33.638 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित हैं, की सीमा निरंतरता में 30 एकड़ से अधिक होने के फलस्वरूप एतदद्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. दभौरा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–दभौरा मुस्तहकम तहसील–काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर) को निजी क्षेत्र का औद्योगिक आस्थान घोषित/अधिसूचित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 में अधिसूचित नहीं हैं, अतः आस्थान की Un-notified भूमि में स्थापित होने वाली थ्रस्ट सैक्टर औद्योगिक इकाईयों को छोड़कर अन्य औद्योगिक इकाईयों को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज की अनुमन्यता के लिए उक्त निजी औद्योगिक आस्थान की भूमि के खसरा नंबरों को भारत सरकार से अधिसूचित कराया जाना आवश्यक होगा।
2. इस आस्थान में थ्रस्ट सैक्टर इकाईयों की स्थापना को ही प्रोत्साहित किया जाय, ताकि स्थापित होने वाली इकाईयों कों विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य हो सके।
3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तकों तथा साझेदारों के स्वामित्व में है, अतः इस आस्थान में स्थापित होने वाली इकाईयों की स्थापना के सन्दर्भ में आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा सम्बन्धित विभागों से समस्त वांछित स्वीकृतियां एवं अनुमोदनों हेतु नियमतः स्वीकृतियां प्राप्त करनी आवश्यक होंगी।

4(अ). इस औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य, आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा स्वयं किया जायेगा।

4(ब). इसके साथ ही नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व GDCR–2004 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् मानचित्र व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करानी होगी।

5. निजी/संयुक्त/सहकारिता क्षेत्र के औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा समय–समय पर जारी सामान्य दिशा निर्देशों एवं मानकों का पूर्णतः पालन करना आवश्यक होगा।

6. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 53 **/उक्त/तद्दिनांकित** 10.5.2003

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
7. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून
10. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
11. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
12. मै. कुमांऊ गढ़वाल इन्फ्रास्ट्रक्चरल इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि., गोपी कृपा कुंज, रामनगर रोड़, काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर)।
13. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या /औ.वि./07–उद्योग/05–06
दिनांक : देहरादून : अप्रैल, 2005

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. दभौरा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–दभौरा मुस्तहकम तहसील–काशीपुर (जिला उद्यमसिंहनगर)।

अनाधिसूचित (Un-notified):

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
दभौरा मुस्तहकम	161, 163, 158मि, 159मि, 148मि, 164ए, 148मि, 160मि, 165, 152मि, 148मि, 149मि, 150, 160मि, 166मि, 148मि, 170, 171, 169, 174मी, 174मि, 176मि, 176मि, 174मि	33.638

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

त्रिपाठी

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 54 /औ.वि. / 07–उद्योग / 2005–06
दिनांक : देहरादून : 10 अप्रैल, 2005
10. मई, 2005

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940 / औ. वि. / 07–उद्योग / 2004–05 दिनांक 9 / 10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों / क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति / दिशा निर्देशों के अधीन मै. शिवांगी क्राफ्ट्स लि., रामनगर रोड़, काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर) द्वारा ग्राम–खरमासी, तहसील काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर) में चिन्हित / संक्रमित 39.917 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1(क) एवं (ख)** में उल्लिखित हैं, की सीमा निरंतरता में 30 एकड़ से अधिक होने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. खरमासी इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–खरमासी, तहसील–काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर) को निजी क्षेत्र का औद्योगिक आस्थान घोषित / अधिसूचित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1(क)** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50 / 2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 में Category-C : गैर औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि शीर्ष के अन्तर्गत अधिसूचित हैं तथा इन खसरा नंबरों में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा। ज्ञाप के **अनुलग्नक–1(ख)** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50 / 2003–के.उ. शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 में अधिसूचित नहीं हैं, अतः आस्थान की Un-notified भूमि में स्थापित होने वाली थ्रस्ट सैक्टर औद्योगिक इकाईयों को छोड़कर अन्य औद्योगिक इकाईयों को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज की अनुमन्यता के लिए उक्त भूमि के खसरा नंबरों को भारत सरकार से अधिसूचित कराया जाना आवश्यक होगा।

2. **अनुलग्नक–1(ख)** में उल्लिखित भूमि में थ्रस्ट सैक्टर इकाईयों की स्थापना को ही प्रोत्साहित किया जाय, ताकि स्थापित होने वाली इकाईयों कों विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य हो सके।

3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तकों तथा साझेदारों के स्वामित्व में है, अतः इस आस्थान में स्थापित होने वाली इकाईयों की स्थापना के सन्दर्भ में आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा सम्बन्धित विभागों से समस्त वांछित स्वीकृतियां एवं अनुमोदनों हेतु नियमतः स्वीकृतियां प्राप्त करनी आवश्यक होंगी।

4(अ). इस औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य, आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा स्वयं किया जायेगा।

4(ब). इसके साथ ही नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व GDCR–2004 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग

त्रिपाठी

परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् मानचित्र व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करानी होगी।

5. निजी/संयुक्त/सहकारिता क्षेत्र के औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा समय–समय पर जारी सामान्य दिशा निर्देशों एवं मानकों का पूर्णतः पालन करना आवश्यक होगा।

6. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 54/**उक्त/तद्दिनांकित** 10 मई, 2005.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
7. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
10. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
11. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
12. मै. शिवांगी क्राफ्ट्स लि., रामनगर रोड़, काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर)।
13. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या /औ.वि./07–उद्योग/05–06
दिनांक : देहरादून : अप्रैल, 2005

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. खरमासी इण्डस्ट्रियल इस्टेट; ग्राम–खरमासी तहसील–काशीपुर (जिला उद्यमसिंहनगर)।

(क) अधिसूचित (Notified) :

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
खरमासी	52, 54, 74, 75, 82, 84, 85, 86ख, 86ग	3.526

(ख) अनाधिसूचित (Un-notified) :

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
खरमासी	64, 68, 65, 72, 70, 69, 71, 77, 78, 80, 343, 344, 342मि, 341/3, 342/1, 341/1, 339	36.392

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

त्रिपाठी

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 73 /औ.वि./07–उद्योग/2005–06
दिनांक : देहरादून : अप्रैल, 2005
18 मई

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ. वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन श्री मोहन गोयल, प्रबन्ध साझेदार मै. शील चन्द्र इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–कोठा, तहसील–किच्छा (जिला–उद्यमसिंहनगर) द्वारा ग्राम–कोठा, तहसील किच्छा (जिला–उद्यमसिंहनगर) में चिन्हित/संक्रमित 39.135एकड़ (15.838 है०) भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1(क) एवं (ख)** में उल्लिखित हैं, की सीमा निरंतरता में 30 एकड़ से अधिक होने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. शील चन्द्र इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–कोठा, तहसील–किच्छा (जिला–उद्यमसिंहनगर) को निजी क्षेत्र का औद्योगिक आस्थान घोषित/अधिसूचित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1(क)** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 में Category-C : गैर औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि शीर्ष के अन्तर्गत अधिसूचित हैं तथा इन खसरा नंबरों में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा। ज्ञाप के **अनुलग्नक–1(ख)** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ. शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 में अधिसूचित नहीं हैं, अतः आस्थान की Un-notified भूमि में स्थापित होने वाली थ्रस्ट सैक्टर औद्योगिक इकाईयों को ही भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।
2. आस्थान की जो भूमि भारत सरकार से अधिसूचित नहीं है, में थ्रस्ट सैक्टर इकाईयों की स्थापना को ही प्रोत्साहित किया जाय, ताकि स्थापित होने वाली इकाईयों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ मिल सके।
3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तकों तथा निजी काश्तकारों के स्वामित्व में है, अतः इस आस्थान में स्थापित होने वाली इकाईयों की स्थापना के सन्दर्भ में आस्थान के प्रवर्तकों/काश्तकारों द्वारा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधित अधिनियम, 2003) के अन्तर्गत भूउपयोग परिवर्तन एवं भूमि क्रय की सम्बन्धित विभागों से समस्त वांछित स्वीकृतियां एवं अनुमोदनों हेतु नियमतः स्वीकृतियां प्राप्त करनी आवश्यक होंगी।
4. इस औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य, आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा स्वयं किया जायेगा।

त्रिपाठी

5(अ). इस औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य, आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा स्वयं किया जायेगा।

5(ब). इसके साथ ही नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व GDCR–2004 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् मानचित्र व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करानी होगी।

6. निजी/सहकारिता औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या /उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
7. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
10. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
11. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
12. श्री मोहन गोयल, प्रबन्ध साझेदार मै. शील चन्द्र इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–कोठा, तहसील–किच्छा (जिला–उद्यमसिंहनगर)।
13. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 73 /औ.वि./07–उद्योग/05–06
दिनांक : देहरादून : अप्रैल, 2005
18 अप्रैल

सहकारी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. शील चन्द्र इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–कोठा, तहसील–किच्छा (जिला–उद्यमसिंहनगर)।

(क) अधिसूचित (Notified) :

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
कोठा, तहसील–किच्छा	172, 174, 206, 207क, 208ख, 209, 210ख, 212	9.25

(ख) अनाधिसूचित (Un-notified) :

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
कोठा, तहसील–किच्छा	159, 162 से 167, 170क, 170ख, 192क, 193क, 194क, 195, 211, 213 एवं 214	29.885

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

त्रिपाठी

०४

संख्याः 1769 /VII-1/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

श्री पंकज गुप्ता,
अध्यक्ष,
इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन,
उत्तरांचल राज्य, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून, दिनांकः 21 मई 2005

विषयः **उत्तरांचल में निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांकः 20.03.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्याः 940/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांकः 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन अध्यक्ष इण्डियन इण्डस्ट्रीज एशोसियेशन, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र, देहरादून के प्रस्ताव पर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ. शुल्क दिनांकः 10 जून, 2003 में प्रस्तावित औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के रूप में ग्राम लकेश्वरी, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की (जिला हरिद्वार) की अधिसूचित भूमि, जिसके खसरा नम्बर अनुलग्नक –1 में उल्लिखित हैं, की सीमा निरन्तरता में 30 एकड़ से अधिक होने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मे0 लकेश्वरी, परगना भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में निजी क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र घोषित/अधिसूचित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के अनुलग्नक–1 में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क–2003 दिनांकः 10 जून, 2003 में **Category-B : Proposed Industrial Area/Estate** के अन्तर्गत अधिसूचित हैं तथा इस अधिसूचित है तथा इस अधिसूचित भूमि पर भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 07 जनवरी, 2003 द्वारा घोषित/प्रदत्त विशेष प्रोत्साहन पैकेज **(Fiscal Incentives)** का लाभ स्थापित होने वाले औद्योगिक

इकाईयों को प्रस्तर 3 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुपालन करने के उपरान्त अनुमन्य होगा।

2. चूंकि इस औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, निजी काश्तकारों के स्वामित्व में है, अतः औद्योगिक प्रयोजन हेतु उत्तरांचल शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या–201/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003 दिनांक:24 सितम्बर, 2004 से भूमि क्रय के संबंध में प्राख्यापित नियमावली, 2004 के प्रस्तर–(4)(3)(क) तथा 12.5 एकड़ से अधिक भूमि के संक्रमण के लिए राजस्व सचिव, राजस्व अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–101–1(7)/89–ए–1 दिनांक: 08 जनवरी, 1989 से निर्धारित प्रक्रियानुसार शासन की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

3. गत अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि औद्योगिक आस्थान के प्रमोटर/फैसिलिटेटर उद्योगों की भूमि आवंटन/बिक्रय का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व शासन/सक्षम प्राधिकारी से निम्नलिखित स्वीकृतियाँ प्राप्त करेंगे।

(i) फैसिलिटेटर/प्रमोटर द्वारा अधिसूचित क्षेत्र की भूमि (जो खसरा नं0 अनुलग्नक 1 में अधिसूचित है) का स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
(ii) औद्योगिक आस्थान के तलपट मानचित्र की स्वीकृति।
(iii) भू–उपयोग परिवर्तन करने सम्बन्धी सक्षम प्राधिकारी के आदेश।
(iv) आवंटियों के पक्ष में की जाने convenyance deed की प्रति, जिसमें आवंटन की पूर्ति उल्लिखित हो, की प्रति उपलब्ध कराई जायेगी।

4. इन स्वीकृतियों को प्राप्त किये बिना आवंटन/बिक्रय अनियमित माने जायेंगे एवं शासन ऐसे अनियमित उद्योगों को औद्योगिक पैकेज के लाभ से वंचित कर सकता है।

भवदीय,

ह0/– 7/5/0–
(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

1764

पृष्ठांकन संख्याः __/VII-1/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05, तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तरांचल शासन।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
12. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
13. **NIC Uttaranchal** : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

आज्ञा से,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

Annexure-1

Details of Khasra Nos. of Land, Village- Lakesari, Pargana- Bhagwanpur, Tehsil- Roorkee, Distt. Haridwar Notified in Govt. of India's Notification No. 50/2003-Centre Excise Dated 10th June, 2003 as proposed Industrial Area/Estates.

Name of the Industrial Area/Region	Name of villages coming Industrial Area	Khasara Nos.	Name of Tehsil
Lakesari, Pargana-Bhagwanpur	Lakesari	179, 182-194, 201-206, 295, 296, 300, 301, 339, 342, 346-351	Roorkee

(Sanjeev Chopra) 7/5/05
Secretary
Industries.

संख्या 575 /सात–1/औ.वि./07–उद्योग 2006

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

प्रेषित,

श्री पंकज गुप्ता,
अध्यक्ष,
इण्डियन इण्डस्ट्रीज एशोसिएशन,
औद्योगिक क्षेत्र, मोहब्बेवाला, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग **देहरादून : दिनांक : 3 फरवरी, 2006**

विषय : **उत्तरांचल में निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके प्रस्ताव दिनांक 21–1–2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि औद्योगिक विकास अनुभाग–1, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–1764/सात–1/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 21 मई, 2005 से निजी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित/घोषित मै. लकेश्वरी, परगना–भगवानपुर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र में अध्यक्ष, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एशोसिएशन, औद्योगिक क्षेत्र, मोहब्बेवाला, देहरादून के प्रस्ताव पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/2003–सी.ई. दिनांक 10 जून, 2003 में Category-B Proposed Industrial Estates/Area के अन्तर्गत ग्राम–लकेश्वरी, परगना–भगवानपुर की अधिसूचित भूमि के निम्न खसरा नम्बरों को निजी औद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलित (add)/औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने की स्वीकृति परिपत्र दिनांक 21 मई, 2005 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है :–

औद्योगिक क्षेत्र का नाम	औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम का नाम	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/ 2003–सी.ई. दिनांक 10 जून, 2003 में Category-B Proposed Industrial Estates के अन्तर्गत अधिसूचित खसरा नम्बरों का विवरण	तहसील का नाम
लकेश्वरी भगवानपुर	लकेशवरी	104, 147, 161, 163, 170 से 178, 180, 181, 195 से 200, 253 से 267, 270 से 285, 297 से 312, 321 से 324, 329, 330, 340 व 341	रूड़की

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

लैटर२(केसीटी)हिन्दी

पृष्ठांकन संख्या 575(1)/उक्त, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तरांचल शासन।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माणं विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियत्रण परिषद, देहरादून।
12. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
13. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

लैटर२/केसीटी/हिन्दी

संख्या 302 /सात-1/औ.वि./07-उद्योग/2006

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

प्रेषित,

निदेशक उद्योग,
उत्तरॉचल।

औद्योगिक विकास अनुभाग **देहरादून : दिनांक : 1 अक्टूबर, 2006**

विषय : लकेशरी भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि का विनियमन।

महोदय,

अध्यक्ष, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एशोसिएशन के प्रस्ताव पर उन्हें फैसिलिटेटर नामित करते हुए औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या-1764/सात-1/औ.वि./07-उद्योग/2004-05 दिनांक 21 मई, 2005 तथा परिपत्र संख्या-575(1)/सात-1/औ.वि./07-उद्योग/2006 दिनांक 3 फरवरी, 2006 के अनुलग्नक में ग्राम-लकेश्वरी, परगना-भगवानपुर, तहसील-रूड़की (हरिद्वार) के अधिसूचित भूमि के खसरा नम्बरों, जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-50/2003-सी.ई. दिनांक 10 जून, 2003 में Category-B Proposed Industrial Estates/Area के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, लकेशरी भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/घोषित किया गया है। अध्यक्ष, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एशोसिएशन द्वारा पुनः उक्त औद्योगिक क्षेत्र/आस्थान के अन्तर्गत कतिपय अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अधिसूचित खसरा नम्बरों को सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त सम्बन्ध में उद्योग संघ के प्राप्त प्रस्ताव/उद्योग निदेशालय की आख्या पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ग्राम-लकेशरी, तहसील-रूड़की, जिला-हरिद्वार की अधिसूचित भूमि के निम्न खसरा नम्बरों को इस औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र में सम्मिलित (add)/विनियमित किये जाने की स्वीकृति परिपत्र दिनांक 21 मई, 2005 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुलग्नक-1 में दिये गये जी.आई.डी.सी.आर.-2006 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, नियमों, विधियों/उपविधियों तथा उपबन्धों (पृष्ठ संख्या-34 से 37) के अधीन प्रदान की है :-

औद्योगिक क्षेत्र का नाम	औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम का नाम	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-50/ 2003-सी.ई. दिनांक 10 जून, 2003 में Category-B Proposed Industrial Estates के अन्तर्गत अधिसूचित खसरा नम्बरों का विवरण	तहसील का नाम
लकेशरी भगवानपुर	लकेशरी	63, 126, 144, 148, 149, 151, 152, 155, 156, 158, 159, 265, 287 से 289 व 293	रूड़की

2- निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिये निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 902 /उक्त, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तरॉचल शासन।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तरांचल शासन।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल, देहरादून।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एशोसिएशन (फैसिलिटेटर), मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र, देहरादून।
9. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
10. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
11. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून
13. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
14. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
15. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

संख्या 336 /सात-1/औ.वि./07-उद्योग/2006

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

प्रेषित,

निदेशक उद्योग,
उत्तरॉचल।

औद्योगिक विकास अनुभाग देहरादून : दिनांक : 20 नवम्बर, 2006

विषय : **लकेशरी भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि का विनियमन।**

महोदय,

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-50/2003-सी.ई. दिनांक 10 जून, 2003 में Category-B Proposed Industrial Estates/Area के रूप में ग्राम-लकेश्वरी, परगना-भगवानपुर, तहसील-रूड़की (हरिद्वार) अधिसूचित भूमि के खसरा नम्बरों, जिन्हें औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या-1764/सात-1/औ.वि./07-उद्योग/2004-05 दिनांक 21 मई, 2005, परिपत्र संख्या-575(1)/सात-1/औ.वि./07-उद्योग/2006 दिनांक 3 फरवरी, 2006 तथा परिपत्र संख्या-302/सात-1/औ.वि./07-उद्योग/2006 दिनांक 1 नवम्बर, 2006 से लकेशरी भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित किया गया है, के अन्तर्गत उद्योग संघ के प्राप्त प्रस्ताव/उद्योग निदेशालय की आख्या पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ग्राम-लकेशरी, तहसील-रूड़की, जिला-हरिद्वार की भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि के निम्न खसरा नम्बरों को औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित (add)/विनियमित किये जाने की स्वीकृति परिपत्र दिनांक 21 मई, 2005 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों एवं जीआईडीसीआर-2006 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, नियमों, विधियों/उपविधियों तथा उपबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

औद्योगिक क्षेत्र का नाम	औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम का नाम	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-50/ 2003-सी.ई. दिनांक 10 जून, 2003 में Category-B Proposed Industrial Estates के अन्तर्गत अधिसूचित खसरा नम्बरों का विवरण	तहसील का नाम
लकेशरी भगवानपुर	लकेशरी	154, 212 से 216, 219 से 221, 224, 226, 232, 234, 235, 248 से 251 व 268 (17.69 एकड़)	रुड़की

2- निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिये निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा) 17/10/07

सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 336(i) उक्त, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तरॉचल शासन।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तरांचल शासन।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल, देहरादून।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एशोसिएशन (फैसिलिटेटर), मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र, देहरादून।
9. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
10. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
11. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून
13. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
14. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
15. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा) 17/10/07

सचिव।

लैटर2(केसीटी)हिन्दी

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 120 /औ.वि./07–उद्योग/2005–06
दिनांक : देहरादून : 20 जून, 2005

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन मै. असाही इण्डिया ग्लास लि., 12 बसन्त लोक, द्वितीय तल, नई दिल्ली–57 द्वारा ग्राम–खानपुर कसौली एवं लाठरदेवाहूण, परगना–मंगलौर, तहसील रूड़की (जिला–हरिद्वार) में चिन्हित/संक्रमित 49.29 है० भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित हैं, की सीमा निरंतरता में 30 एकड़ से अधिक होने के फलस्वरूप एतदद्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. ए.आई.एस. इण्डस्ट्रियल इस्टेट, नाम से निजी क्षेत्र का औद्योगिक आस्थान घोषित/अधिसूचित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 में *Category-B : Proposed Industrial Area/Estate* शीर्ष के अन्तर्गत अधिसूचित हैं तथा इन खसरा नंबरों में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को विहित अर्हतायें पूर्ण करने पर भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तकों के स्वामित्व में है, अतः इस आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा आस्थान में स्थापित होने वाली इकाईयों की स्थापना के सन्दर्भ में वांछित समस्त स्वीकृतियां एवं अनुमोदनों हेतु नियमतः सम्बन्धित विभागों से अनुज्ञा/अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3(अ). इस औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य, आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा स्वयं किया जायेगा।

3(ब). इसके साथ ही नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व GDCR–2004 के उपबन्धों के अनुरूप मानचित्र व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करानी होगी।

4. निजी/सहकारिता औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा) 19/6
सचिव।

त्रिपाठी

पृष्ठांकन संख्या 1050/उक्त/तददिनांकित 20.6.05

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
10. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
11. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
12. मै. ए.आई.एस. इण्डस्ट्रियल इस्टेट, प्रवर्तक मै. असाही इण्डिया ग्लास लि., 12 बसन्त लोक, द्वितीय तल, नई दिल्ली-57।
13. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(एस०सी०चन्दोला) 20/6
अपर निदेशक उद्योग।

त्रिपाठी

Annexure-1

Industrial Development Department,
Govt. of Uttaranchal.
No. /I.D./07-Industry/05-06
Dehradun: Dated: June, 2005

Name of the Industrial Estate

M/s AIS Industrial Estate

Details of Khasra nos. of land, Village Khanpur Kasauli and Latherdeva Hoondh, Pargana Manglaur, Tehsil Roorkee, District Haridwar Notified by the Govt. of India's notification no. 50/Central Excise-2003 dated 10th June, 2003 in Category-B: As Proposed Industrial Area/Estate:

Sl. no.	Name of the Industrial Area/Estate	Name of Village comming in Industrial Area	Khasra nos.	Name of Tehsil
1	2	3	4	5
1.	Khanpur Kasauli, Manglaur	Khanpur Kasauli	96, 97, 100 to 103, 107, 109, 110, 112, 113, 115 to 117, 119 to 122, 130 to 132, 135 to 137, 139, 141 to 144, 288 to 290, 293 to 296, 300 to 306, 310 to 317, 319	Roorkee
2.	Latherdeva Hoondh, Manglaur	Latherdeva Hoondh	224 to 226, 230 to 232, 234 to 247, 243 to 245, 249 to 250, 252, 256 to 270, 274, 284, 287, 289, 290, 292 to 295, 298 to 301, 305 to 309	Roorkee

(Sanjeev Chopra)
Secretary,
Industrial Development.

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 324 /औ.वि./07–उद्योग/2005–06
दिनांक : देहरादून : 29 सितम्बर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ. वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन श्री अंशुल जिन्दल पुत्र श्री विनय जिन्दल एवं श्री अपूर्व जिन्दल पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार जिन्दल निवासी रामनगर रोड, काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर) द्वारा ग्राम–महुखेड़ागंज, तहसील काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर) में चिन्हित/संक्रमित 34.29 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित हैं, की सीमा निरंतरता में 30 एकड़ से अधिक होने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. नन्द नगर औद्योगिक आस्थान नाम से निजी क्षेत्र का औद्योगिक आस्थान घोषित/अधिसूचित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-2 की प्रविष्टि संख्या–11, जिला–उद्यमसिहनगर में Category-B प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रविष्टि संख्या–8 ग्राम–महुआखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर के अन्तर्गत अधिसूचित हैं। अतः इन अधिसूचित खसरा नंबरों में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तकों तथा पारिवारिक सदस्यों द्वारा क्रय अनुबन्धित है, अतः निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना हेतु प्रवर्तकों द्वारा समस्त वांछित स्वीकृतियां एवं अनुमोदनों हेतु नियमतः स्वीकृतियां प्राप्त करनी आवश्यक होंगी।

3(अ). इस औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य, आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा स्वयं किया जायेगा।

3(ब). इसके साथ ही नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व GDCR–2004 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् मानचित्र व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करानी होगी।

4. निजी क्षेत्र के औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा समय–समय पर जारी सामान्य दिशा निर्देशों एवं मानकों का पूर्णतः पालन करना आवश्यक होगा।

त्रिपाठी

5. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 324 **/उक्त/तद्दिनांकित**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
7. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
10. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
11. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
12. श्री अंशुल जिन्दल पुत्र श्री विनय जिन्दल एवं श्री अपूर्व जिन्दल पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार जिन्दल निवासी रामनगर रोड, काशीपुर, प्रवर्तक मै. नन्द नगर औद्योगिक आस्थान, ग्राम–महुवाखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर)।
13. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 324 /औ.वि./07–उद्योग/05–06
दिनांक : देहरादून : 29 सितम्बर, 2005

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. नन्द नगर औद्योगिक आस्थान,
ग्राम–महुवाखेड़ागंज, काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर)।

(क)भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उत्पा.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के अनुलग्नक–2 की प्रवष्टि संख्या–11, जिला उद्यमसिंहनगर के अन्तर्गत श्रेणी–बी प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रवष्टि संख्या–8 ग्राम–महुवाखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर के अधीन अधिसूचित खसरा नम्बरों का विवरण, जिनका राज्य सरकार द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में विनियमन किया गया है :

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
महुवाखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर	87, 88, 90, 92/1, 93/1, 94/1 मि., 95, 98/1, 98/2 मि., 99/1, 101 मि., 102, 103, 104, 105, 106मि. 107, 114, 115, 116, 118, 119, 120 मि.	34.29

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 969/औ.वि./07–उद्योग/2004–05
दिनांक : देहरादून : 25 नवम्बर, 2004

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन मै.दत्त इन्फ्रास्टक्चर एण्ड सर्विसेज लि.(सिडकुल की सहायता से), ग्राम बन्ताखेड़ी तहसील–रूड़की (जिला–हरिद्वार) में चिन्हित/संक्रमित 15.809 हैक्टेयर भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित हैं, की सीमा निरंतरता में 30 एकड़ से अधिक होने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै.दत्त इन्फ्रास्टक्चर एण्ड सर्विसेज लि.(सिडकुल की सहायता से), को निजी/संयुक्त क्षेत्र का औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र घोषित/अधिसूचित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1, प्रस्तर–"क"** में उल्लिखित भूमे के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क–2003 दिनांक 10 जून, 2003 में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित हैं तथा इस अधिसूचित भूमि पर भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7 जनवरी, 2003 द्वारा घोषित/प्रदत्त विशेष प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Incentives) का लाभ स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य होगा। **अनुलग्नक–1, प्रस्तर–ख** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर अधिसूचित किये जाने हेतु भारत सरकार को संस्तुति सहित प्रेषित किये गये हैं, जिन पर भारत सरकार की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त ही विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. यह औद्योगिक आस्थान सिडकुल की सहायता से निजी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। अतः आस्थान में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के सम्बन्ध में वांछित स्वीकृतियां एवं अनुमोदन निर्धारित विहित प्रक्रिया तथा सिडकुल द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निर्मित बाईलाज के अनुरूप ही सम्बन्धित विभागों से प्राप्त की जानी आवश्यक होंगी।

(संजीव चोपड़ा) 25/11/04
सचिव।

क्रमशः 2

पृष्ठांकन संख्या 928 /उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून
10. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
11. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
12. मै. दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लि., 12–डी, रेस कोर्स, देहरादून।
13. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 969 /औ.वि./07–उद्योग/04–05

(क) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क–2003 दिनांक 10 जून, 2003 में अधिसूचित भूमि के खसरा नंबरों का विवरण:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम बन्ताखेड़ी, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार	13, 14, 15, 16, 19, 20, 28, 30, 32, 34 एवं 36	13.362 हेक्टेयर

(ख) भारत सरकार को अधिसूचित किये जाने हेतु भेजे गये खसरा नंबरों का विवरण:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम बन्ताखेड़ी, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार	6, 7 एवं 8	2.447 हेक्टेयर

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 1455 /औ.वि./05–उद्योग/2005–06
दिनांक : देहरादून : 14 अक्टूबर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

मै. दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लि. (सिडकुल की सहभागिता से) ग्राम–बन्ताखेड़ी, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार के प्रस्ताव पर, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–969/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 25 नवम्बर, 2004 से विनियमित/घोषित निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के **अनुलग्नक–1 (क) एवं (ख)** में अधिसूचित भूमि के खसरा नम्बरों को विलोपित (omitted) करते हुए उक्त निजी औद्योगिक क्षेत्र/आस्थान के अन्तर्गत चिन्हित/अभिज्ञापित भूमि के निम्न खसरा नम्बर प्रतिस्थापित (substituted) किये जाते हैं :–

Name of the Industrial Area/Estate	Names of villages comming in Industrial Area/Estate	Khasra nos. notified vide GOI notification no. 50/2003-CE dated 10 June, 03 & notification no. 27/2005-CE dated19 May, 05	Area in Hectares
M/s Dutt Infrastructure & Services Ltd., (assisted with SIDCUL)	vill-Bantakhedi, Tehsil-Roorkee, Distt.-Haridwar.	7, 9 (Part 1.208 Hect.), 10 to 20, 24, 28 to 34, 36 & 37	19.552 Hectare

3. उक्त संशोधन के अतिरिक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–969 दिनांक 25 नवम्बर, 2004 में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् बने रहेंगे।

(संजीव चोपड़ा) 14/10/05
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 1455(1)/उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

त्रिपाठी

740

3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून
10. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
11. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
12. मै. दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लि., 12–डी, रेस कोर्स, देहरादून।
13. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग

उत्तरांचल शासन।

संख्या 375 /औ.वि./07–उद्योग/2005–06

दिनांक : देहरादून : 31 अक्टूबर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन श्री एस.एम. खण्डेलवाल एवं श्री आर.एम.खण्डेलवाल, निदेशक/प्रवर्तक मै. के.आई.ई. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड प्रोजैक्ट्स प्रा.लि., स्टीम कॉम्पलैक्स, सी–208, सावित्री नगर, नियर शेक सराँय, फेज–1, नई दिल्ली द्वारा ग्राम–मुन्डियाकी, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार में चिन्हित/संक्रमित 33.096 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर अनुलग्नक–1 में उल्लिखित हैं, की सीमा निरंतरता में 30 एकड़ से अधिक होने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. के.आई.ई. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड प्रोजैक्ट्स प्रा.लि. नाम से निजी क्षेत्र का औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र घोषित/अधिसूचित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के अनुलग्नक–1 में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-2 की प्रविष्टि संख्या–5, जिला–हरिद्वार में Category-C "Industrial Activity in Non Industrial Area (to be notified along with extension)" के अन्तर्गत क्रमांक–9 पर ग्राम–मुन्डियाकी, तहसील–रूड़की के अन्तर्गत अधिसूचित हैं तथा जिसे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या–27/2005–केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 19 मई, 2005 के Annexure-2, Para-G(iii)(a) में "Industrial Activity in Non Industrial Area" में प्रतिस्थापित (substituted) किया जा चुका है। अतः भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 19 मई, 2003 के Para-2(a) & (b) में दी गई व्यवस्थानुसार उक्त शीर्ष के अन्तर्गत Annexure-2 में सम्मिलित/अधिसूचित भूमि के खसरा नम्बरों में दिनांक 7–1–2003 के पश्चात् स्थापित होकर उत्पादन प्रारम्भ करने वाली नई औद्योगिक इकाईयों (नकारात्मक सूची को छोड़कर) भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तकों/निदेशकों द्वारा क्रय अनुबन्धित है, अतः निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना हेतु प्रवर्तकों द्वारा समस्त वांछित स्वीकृतियां एवं अनुमोदनों हेतु नियमतः स्वीकृतियां प्राप्त करनी आवश्यक होंगी।

3(अ). इस औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य, आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा स्वयं किया जायेगा।

3(ब). इसके साथ ही नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व GDCR–2004 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् मानचित्र व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करानी होगी।

4. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तकों/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. निजी क्षेत्र के औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य दिशा निर्देशों एवं मानकों का पूर्णतः पालन करना आवश्यक होगा।

6. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 375/उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
10. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
11. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
12. श्री एस.एम.खण्डेलवाल एवं श्री आर.एम.खण्डेलवाल, निदेशक/प्रवर्तक मै. के.आई.ई. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड प्रोजैक्ट्स प्रा.लि., स्टीम कॉम्पलैक्स, सी-208, सावित्री नगर, नियर शेक सराँय, फेज-1, नई दिल्ली।
13. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाइट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 375/औ.वि./07–उद्योग/05–06
दिनांक : देहरादून : 31 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2005

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. के.आई.ई. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड प्रोजैक्ट्स प्रा.लि., ग्राम–मुन्डियाकी, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार।

(क) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-2 की प्रविष्टि संख्या–5, जिला–हरिद्वार में Category-C "Industrial Activity in Non Industrial Area (to be notified along with extension)" के अन्तर्गत क्रमांक–9 पर ग्राम–मुन्डियाकी, तहसील–रूड़की के अन्तर्गत अधिसूचित खसरा नम्बर, जिन्हें भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या–27/2005–केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 19 मई, 2005 के Annexure-2, Para-G(iii)(a) से "Industrial Activity in Non Industrial Area" में प्रतिस्थापित (substituted) किया गया है, का विवरण :

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
ग्राम–मुन्डियाकी, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार।	361, 364, 366, 367, 368, 370, 371, 394	33.10

31/10/05
(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

संख्या 27 /सात–1/औ.वि./07–उद्योग/2006

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

प्रेषित,

श्री एस.एम.खण्डेलवाल एवं
श्री आर.एम.खण्डेलवाल,
निदेशक/प्रवर्तक,
मै. के.आई.ई. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड प्रोजैक्ट्स प्रा.लि.,
ग्राम–मुन्डियाकी, परगना–मंगलौर,
तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार।

औद्योगिक विकास अनुभाग देहरादून : दिनांक : 20 अप्रैल, 2006

विषय : उत्तरांचल में निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके प्रस्ताव दिनांक 30–1–2006 तथा 25–3–2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शु.क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-2 की प्रविष्टि संख्या–5, जिला–हरिद्वार में Category-C "Industrial Activity in Non Industrial Area (to be notified along with extension)" के अन्तर्गत ग्राम–मुन्डियाकी एवं दहियाकी, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की के अन्तर्गत अधिसूचित निम्न खसरा नम्बरों को, जिन्हें भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या–27/2005–केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 19 मई, 2005 के Annexure-2, Para-G(iii)(a) से "Industrial Activity in Non Industrial Area" में प्रतिस्थापित (substituted) किया जा चुका है, को औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–375/औ.वि./07–उद्योग/2005–06 दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 से निजी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित/घोषित मै. के.आई.ई. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड प्रोजैक्ट्स प्रा.लि., औद्योगिक आस्थान में सम्मिलित (add)/औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/घोषित किये जाने की स्वीकृति कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है :–

औद्योगिक आस्थान का नाम	औद्योगिक आस्थान के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम का नाम	अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 तथा अधिसूचना संख्या–27/2005–केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 19 मई, 2005 में जिला–हरिद्वार के अन्तर्गत Category-C "Industrial Activity in Non Industrial Area (to be notified along with extension)" में अधिसूचित खसरा नम्बर, जन्हें Annexure-2, Para-G(iii)(a) में "Industrial Activity in Non Industrial Area" शीर्ष के अन्तर्गत प्रतिस्थापित (substituted) किया जा चुका है (क्षेत्रफल सहित)	तहसील का नाम
मै. के. आई. ई. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड प्रोजैक्ट्स प्रा.लि.	मुन्डियाकी दहियाकी	372, 373, 396 (क्षेत्रफल 7.27 एकड़) 11, 12, 13, 14 (क्षेत्रफल 13.66 एकड़)	रूड़की

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 27/उक्त, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
9. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
10. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
11. श्री एस.एम.खण्डेलवाल एवं श्री आर.एम.खण्डेलवाल, निदेशक/प्रवर्तक मै. के.आई.ई. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड प्रोजैक्ट्स प्रा.लि., स्टीम कॉम्पलैक्स, सी–208, सावित्री नगर, नियर शेक सरॉय, फेज–1, नई दिल्ली।
12. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
13. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

संख्या 398 /सात–1/औ.वि./07–उद्योग/2006

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

प्रेषित,

निदेशक उद्योग,
उत्तरॉचल।

औद्योगिक विकास अनुभाग देहरादून : दिनांक : 26 दिसम्बर, 2006

विषय : **ग्राम–मुन्डियाकी, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार स्थित ग्रामसभा की अर्जित भूमि 0.469 हैक्टेयर अतिरिक्त अधिसूचित भूमि को मै. के.आई.ई. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड प्रोजैक्ट्स प्रा.लि. औद्योगिक आस्थान के अन्तर्गत सम्मिलित (add) किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरॉचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–375/औ.वि./07–उद्योग/2005–06 दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 तथा परिपत्र संख्या–27/औ.वि./07–उद्योग/2006 दिनांक 20 अप्रैल, 2006 के अनुक्रम में ग्राम–मुन्डियाकी, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार स्थित उप जिलाधिकारी/सहायक कलैक्टर, रूड़की के आदेश दिनांक 15–7–2006 द्वारा अर्जित भूमि के खसरा संख्या 363, 365 व 369 कुल रकबा 0.469 हैक्टेयर, जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-2 की प्रविष्टि संख्या–5, जिला–हरिद्वार में Category-C "Industrial Activity in Non Industrial Area (to be notified along with extension)" के अन्तर्गत ग्राम–मुन्डियाकी एवं दहियाकी, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की के अन्तर्गत अधिसूचित हैं तथा जिन्हें भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या–27/2005–केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 19 मई, 2005 के Annexure-2, Para-G(iii)(a) से "Industrial Activity in Non Industrial Area" में प्रतिस्थापित (substituted) किया जा चुका है, को कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 तथा जी.आई.डी.सी.आर.–2005 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ मै. के.आई.ई. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड प्रोजैक्ट्स प्रा.लि., औद्योगिक आस्थान में सम्मिलित (add)/औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिये निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या ३४०७/उक्त, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ़ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तरॉचल शासन।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तरांचल शासन।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल, देहरादून।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. श्री एस.एम.खण्डेलवाल एवं श्री आर.एम.खण्डेलवाल, निदेशक/प्रवर्तक, मै. के.आई.ई. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड प्रोजैक्ट्स प्रा.लि., ग्राम-मुन्डियाकी व दहियाकी, परगना-मंगलौर, तहसील-रूड़की, जिला-हरिद्वार।
9. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
10. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
11. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून
13. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
14. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
15. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 214/VII-II/10/13–उद्योग/2010
देहरादूनः दिनांकः 5 मार्च 2010

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–11/औ0वि0/07–उद्योग/2004 दिनांक 27 जनवरी 2004 तथा शासनादेश संख्या–940/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर 2004 के द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्रांकः 5084/उ0नि0(पॉच)–भूमि कय/2009–10 दिनांक 30 दिसम्बर 2009 के सन्दर्भ में मै0 के0आई0ई0 इन्फास्ट्रक्चर एण्ड प्रौजेक्ट्स प्रा0 लि0, ग्राम–मुन्डियाकी, परगना मंगलौर तहसील रूड़की जिला हरिद्वार को जिला हरिद्वार तहसील रूड़की के ग्राम–मुन्डियाकी, दाहियाकी में 0.614 हैक्टेअर (1.51723 एकड़) अतिरिक्त कय अनुबन्धित भूमि जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित है, को निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित/विनियमित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)
ग्राम– मुन्डियाकी, दाहियाकी तहसील, रूड़की जनपद–हरिद्वार ।	374 मध्ये	0.614 हैक्टेअर (1.51723 एकड़)

1– कय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो, तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर जी0आई0डी0सी0आर0–2005 में दिये नियमों/मानकों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी/सीडा से स्वीकृत भवन प्लान के अनुसार निर्माण कार्य किया जायेगा।

2– मै0 के0आई0ई0 इन्फास्टक्चर एण्ड प्रौजेक्ट्स प्रा0लि0 द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध करायेगी तथा इस शर्त/प्रतिबन्ध का उल्लेख कय की जाने वाली भूमि के निष्पादन किये जाने वाले कय–विलेख पत्र में भी किया जायेगा।

3– प्रर्वतक कम्पनी उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–375/औ0वि0/07/2005–06 दिनांक 31.10.2005 अधिसूचना संख्या–27/सात–1/औ0वि0/67/उद्योग 2006 दिनांक 24.10.2006, अधिसूचना संख्या–398/सात–1/औ0वि0/07/उद्योग/2007 दिनांक 26.12.2007 में उल्लिखित सभी नियमों/शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

4– भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/2003–सीई दिनांक 10 जून 2003 के Annexure-II में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भूमि का खसरा संख्या–374 Category-C "Industrial Activity in Non-Industrial Area" के रूप में कमांक–9 पर ग्राम मुण्डियाकी तहसील रूड़की के सम्मुख स्तम्भ–4 में अधिसूचित है।

कमशः–2–

5– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 214/VII-II/09/13–उद्योग/2010/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग),उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, पटेलनगर, देहरादून।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उधमसिंहनगर
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
12. मै0 के0आई0ई0 इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रौजेक्ट्स प्रा0 लि0 ग्राम मुन्डियाकी, परगना मंगलौर तहसील रूड़की जिला हरिद्वार।
13. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को बेवसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव। 413

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 506 /औ.वि./07–उद्योग/2005–06
दिनांक : देहरादून : 15 दिसम्बर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ. वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन श्री शिव गुप्ता पुत्र श्री सतीश चन्द्र गुप्ता, निवासी गुजरावाला टाउन, दिल्ली, श्री चिराग गुप्ता पुत्र श्री राकेश गुप्ता, निवासी राजपुर खुर्द, एक्सटैन्सन कॉलोनी, नई दिल्ली, श्री अमन गुप्ता पुत्र श्री अनिल गुप्ता, निवासी प्रगति कॉम्पलैक्स, इदगाह क्षेत्र, नई दिल्ली, श्री सौरव गोयल पुत्र श्री जग प्रकाश गोयल, निवासी 2/42, अशोक बिहार, फोज–2, नई दिल्ली तथा कुमारी दीप्ति गुप्ता पुत्री श्री सतीश चन्द गुप्ता, निवासी 295 गुजरावाला टाउन, नई दिल्ली के प्रस्ताव पर उनके द्वारा ग्राम–लकेशरी, तहसील–रूड़की (जिला–हरिद्वार) में चिन्हित/संक्रमित 30.88 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1(क) एवं (ख)** में उल्लिखित हैं, की सीमा निरंतरता में 30 एकड़ से अधिक होने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. शिव गंगा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–लकेशरी, पोस्ट–भगवानपुर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार नाम से निजी क्षेत्र का औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र घोषित/अधिसूचित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1(क)** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत Category-B : Proposed Industrial Area/Estates के रूप में क्रमांक–12 पर ग्राम–लकेशरी (तहसील–रूड़की) के सम्मुख अधिसूचित हैं तथा इन खसरा नंबरों में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों (नकारात्मक सूची के उद्योगों को छोड़कर) को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा। ज्ञाप के **अनुलग्नक–1(ख)** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 में अधिसूचित नहीं हैं, अतः आस्थान की Un-notified भूमि में केवल थ्रस्ट सैक्टर उद्योगों को ही भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।
2. **अनुलग्नक–1(ख)** में उल्लिखित भूमि में थ्रस्ट सैक्टर इकाईयों की स्थापना को ही प्रोत्साहित किया जाय, ताकि स्थापित होने वाली इकाईयों कों विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य हो सके।
3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तकों तथा साझेदारों के स्वामित्व में है, अतः इस आस्थान में स्थापित होने वाली इकाईयों की स्थापना के सन्दर्भ में आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा सम्बन्धित विभागों से समस्त वांछित स्वीकृतियां एवं अनुमोदनों हेतु नियमतः स्वीकृतियां प्राप्त करनी आवश्यक होंगी।

4(अ). इस औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य, आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा स्वयं किया जायेगा।

4(ब). इसके साथ ही नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व GDCR–2004 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् मानचित्र व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करानी होगी।

5. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तकों/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. निजी/संयुक्त/सहकारिता क्षेत्र के औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा समय–समय पर जारी सामान्य दिशा निर्देशों एवं मानकों का पूर्णतः पालन करना आवश्यक होगा।

7. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

14/11/00

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 506 **/उक्त/तददिनांकित**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
9. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
10. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
11. मै. शिव गंगा इण्डस्ट्रियल इस्टेटस, लकेशरी, रूड़की, हरिद्वार। (मुख्य कार्यालय 295 गुजरावाला टाउन, पार्ट–3, दिल्ली, दूरभाष–011–55284254–55)
12. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
13. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

14/11/00

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–।

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 506 /औ.वि./07–उद्योग/05–06
दिनांक : देहरादून : 15 दिसम्बर, 2005

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. शिव गंगा इण्डस्ट्रियल इस्टेटस, ग्राम–लकेशरी, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार।

(क) अधिसूचित (Notified) :

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
लकेशरी	2 से 7, 9, 25 से 26, 29, 31, 33 से 36, 50 से 51, 53 से 58, 60 से 61, 65, 68, 70 से 74, 78, 79, 82, 84 से 86, 90 से 95, 106 से 116, 120 से 123, 125	29.00

(ख) अनाधिसूचित (Un-notified) :

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
लकेशरी	41 से 43, 127 से 130	1.88

(संजीव चोपड़ा) 19/12/05
सचिव।

संख्या २६ /सात–1/औ.वि./07–उद्योग/2006

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

प्रेषित,

श्री शिव गुप्ता,
निदेशक/प्रामोटर,
मै. शिव गंगा इण्डस्ट्रियल इस्टेट,
ग्राम–लकेशरी, तहसील–रुड़की,
जिला–हरिद्वार।

औद्योगिक विकास अनुभाग देहरादून : दिनांक :२० अप्रैल, 2006

विषय : उत्तरांचल में निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके प्रस्ताव दिनांक 25–3–2006 तथा 7–4–2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-2 की प्रविष्टि संख्या–5, जिला–हरिद्वार में Category-B "Proposed Industrial Area/Estates" के अन्तर्गत ग्राम–लकेशरी, परगना–भगवानपुर, तहसील–रुड़की के अन्तर्गत अधिसूचित निम्न खसरा नम्बरों को, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–506/औ.वि./07–उद्योग/2005–06 दिनांक 15 दिसम्बर, 2005 से निजी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित/घोषित मै. शिव गंगा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, लकेशरी, रुड़की (हरिद्वार) में सम्मिलित (add)/औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

औद्योगिक आस्थान का नाम	औद्योगिक आस्थान के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम का नाम	अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ. शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 में जनपद–हरिद्वार में Category-B "Proposed Industrial Area/Estates" के अन्तर्गत अधिसूचित खसरा नम्बरों का विवरण (क्षेत्रफल सहित)	तहसील का नाम
मै. शिव गंगा इण्डस्ट्रियल इस्टेट	ग्राम–लकेशरी, तहसील–रुड़की, जिला–हरिद्वार।	14, 16, 17, 64, 66, 67, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 117, 118, 124 (12.44 एकड़)	रुड़की

Attested
अपर निदेशक उद्योग
उत्तरांचल

[illegible]

03, 104

उक्त खसरा नम्बरों के औद्योगिक आस्थान के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने पर इनके विनियमन के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15 दिसम्बर, 2005 में उल्लिखित शर्त एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 26 /उक्त, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
9. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
10. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
11. मै. शिव गंगा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 295, गुजरावाला टाउन, पार्ट-III, दिल्ली-110009।
12. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
13. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

प्रतिलिपि मै० शिवगंगा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, लाखेश्वरी, भगवानपुर, रूड़की (हरिद्वार)।

अपर निदेशक उद्योग
उत्तरांचल

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 1598 / VII-II / 121–उद्योग / 07 / 2012
देहरादूनः दिनांकः 21 दिसम्बर, 2012

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–11 / औ0वि0 / 07–उद्योग / 2004 दिनांक 27 जनवरी, 2004 तथा शासनादेश संख्या–940 / औ0वि0 / 07–उद्योग / 2004–05 दिनांक 9 / 10 नवम्बर, 2004 के द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान अधिसूचित किये जाने विषयक जारी दिशा निर्देशों के अधीन कार्यालय ज्ञाप संख्या–506 / औ0वि0 / 07–उद्योग / 2005–06 दिनांक 15 दिसम्बर, 2005 एवं अधिसूचना संख्या 606 / VII-II / 09 / 121–उद्योग / 2007 दिनांक 26 फरवरी, 2010 के क्रम में उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र 1937 / उ0नि0(पांच)–नि0औ0 आस्थान / 2012–13 दिनांक 31 जुलाई, 2012 के संदर्भ में मै0 शिवगंगा इण्डस्ट्रियल इस्टेट लकेशरी, भगवानपुर, तहसील रूड़की, जनपद हरिद्वार के अंतर्गत ग्राम–लकेशरी, परगना भगवानपुर, तहसील–रूड़की जनपद–हरिद्वार में जिसके खसरा नम्बर निम्न तालिका में अंकित है, तथा जो आस्थान से सम्बद्ध / निरन्तरता में है, को आस्थान के विस्तार के रूप में अधिसूचित किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबंधों एवं शर्तो के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (है0 में)
ग्राम–लकेशरी, परगना भगवानपुर, तहसील–रूड़की, जनपद हरिद्वार।	227	रकबई 0.2392
	30, 32 व 105	रकबई 0.923

1. अर्जित औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के साझेदार प्रवर्तक के नाम अभिलेखों में विनियम हो चुकी है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
2. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के संबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।
3. आस्थान को विकसित करने के लिए विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति / अनुमति / अनुमोदन / अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होगी, वह प्रवर्तक / कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी।

4. सभी आवंटियों से यह अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत नियमित रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेल डीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।
5. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।
6. प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरों, विपणन तथा विकास आदि के संबंध में महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड को समय-समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
7. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तो का उल्लंघन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना निरस्त की जा सकती है।

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।
O/C

पृष्ठांकन संख्या 1598 (1)/VII-II/121-उद्योग/07/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति सम्वर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, देहरादून।
7. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
12. महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की, हरिद्वार
13. मै0 शिव गंगा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम लकेशरी, परगना भगवानपुर, रूड़की, जनपद-हरिद्वार।
14. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध से कि उक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।
O/C

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 271 /121–उद्योग/07–T.C/VII-II/2011
देहरादूनः दिनांकः 18 फरवरी 2011

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 506/औ0वि0/07–उद्योग/2005–06 दिनांक 15.12.2005 से मै0 शिवगंगा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–लकेश्वरी, भगवानपुर, जिला हरिद्वार के खसरा संख्या 02 मध्ये 0.0151 है0, खसरा संख्या–03 मध्ये 0.0424 है0, खसरा संख्या–04 मध्ये 0.0567 है0, खसरा संख्या–05 मध्ये 0.0953, है0 खसरा संख्या–35 मध्ये 0.0278 है0, खसरा संख्या–53 मध्ये 0.0274 है0, खसरा संख्या–94ज मध्ये 0.0470 है0, खसरा संख्या–27 ख मध्ये 0.0578 है0, खसरा संख्या–28 मध्ये 0.0124 है0, खसरा संख्या–33 मध्ये 0.0285 है0, खसरा संख्या–34 मध्ये 0.0370 है0, खसरा संख्या–63 मध्ये 0.0324 है0, खसरा संख्या–65 मध्ये 0.0262 है0, तथा खसरा संख्या–135म मध्ये 0.0400 है0 कुल 14 किता मध्ये 0.5460 है0 को विलोपित करते हुए विनिमय में आस्थान के साझेदारों को प्राप्त ग्राम लकेशरी, परगना–भगवानपुर, तहसील–रूड़की, जिला हरिद्वार के भूमि के खसरा संख्या–19 मध्ये 0.0530 है0, खसरा संख्या–37 मध्ये 0.0990 है0, खसरा संख्या–69 मध्ये 0.0570 है0, खसरा संख्या–75 मध्ये 0.0550 है0, खसरा संख्या–83 मध्ये 0.0160है0, खसरा संख्या–126 मध्ये 0.0300 है0, खसरा संख्या–62 मध्ये 0.0800 है0, एवं खसरा संख्या–119 मध्ये 0.1420 है0, कुल 08 किता क्षेत्रफल–0.5320 है0 आस्थान के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–506/औ.वि./07–उद्योग/2005–06 दिनांक 15.12.2005 में उल्लिखित तथा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. अर्जित औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के साझेदार प्रवर्तक के नाम अभिलेखों में विनिमय हो चुकी है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू– उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

2. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के संबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

3. आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्नि शमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/ अनापत्ति आदि जो भी वोछित औपचारिकतायें अपेक्षित होगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी।

4. सभी आवंटियों से यह अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत नियमित रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा, तथा भूमि/भूखण्ड की Sale Deed/ लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

क्रमशः–2–

21.2.11

5. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों, यथा प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।
6. प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरों, विपणन तथा विकास आदि के संबंध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/ निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

7. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त की जा सकती है।

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 271 (1)/121–उद्योग/07–T.C/VII-II/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
13. मै0 शिवगंगा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–लकेश्वरी, भगवानपुर, जिला हरिद्वार।
14. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वेबसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 595 /औ.वि./07–उद्योग/2005–06
दिनांक : देहरादून : 17 फरवरी, 2006

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ. वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन जिलाधिकारी, नैनीताल के पत्र संख्या–3190 दिनांक 28/30 जनवरी, 2006 से प्राप्त श्री राजेश अग्रवाल निवासी कालाढुंगी रोड, जीजीआईसी के सामने, हल्द्वानी (नैनीताल) के प्रस्ताव पर ग्राम–पाड़लीपुर, तहसील–लालकुआँ (हल्द्वानी), जिला–नैनीताल में चिन्हित/संक्रमित 46.93 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित हैं, की सीमा निरंतरता में 30 एकड़ से अधिक होने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. महावीर औद्योगिक आस्थान, पाडलीपुर (मोटा हल्दू) तहसील–लालकुआँ (हल्द्वानी), जिला–नैनीताल नाम से निजी क्षेत्र के औद्योगिक आस्थान के रूप में घोषित/अधिसूचित किया जाता है:–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 में प्रविष्टि संख्या–6 में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत Category-B : Proposed Industrial Area/Estates के रूप में क्रमांक–7 पर ग्राम–पाड़लीपुर, तहसील–लालकुआँ (हल्द्वानी) के सम्मुख अधिसूचित हैं तथा इन खसरा नंबरों में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों (नकारात्मक सूची के उद्योगों को छोडकर) को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।
2. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तकों तथा साझेदारों के स्वामित्व में है, अतः आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य, आस्थान के प्रवर्तक द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा उद्योगों हेतु भूमि आवंटन/विक्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी से नियमतः स्वीकृतियां/अनुमति प्राप्त की जायेगी।
3. आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व GDCR–2004 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् मानचित्र व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करानी होगी।
4. आवंटियों के पक्ष में की जाने वाली convenyance deed/saledeed की प्रति, जिसमें आवंटन की शर्तों एवं मानकों का उल्लेख हो, की प्रति निदेशक उद्योग को उपलब्ध करायी जायेगी।

नैन्ना(केसीपी)हिन्दी

5. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तकों/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. निजी/संयुक्त/सहकारिता क्षेत्र के औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य दिशा निर्देशों एवं मानकों का पूर्णतः पालन करना आवश्यक होगा।

7. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

14/2/06

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 595 **/उक्त/तद्दिनांकित** 17-2-06

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
6. जिलाधिकारी, नैनीताल को उनके प्रस्ताव पत्र संख्या-3190 दिनांक 28/30 जनवरी, 2006 के संदर्भ में।
7. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
9. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
10. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
11. श्री राजेश अग्रवाल द्वारा मै. महावीर औद्योगिक आस्थान, पाडलीपुर, लालकुआँ, (हल्द्वानी), जिला-नैनीताल।
12. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
13. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

14/2/06

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 595 /औ.वि./07–उद्योग/05–06
दिनांक : देहरादून : 17 फरवरी, 2006

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. महावीर औद्योगिक आस्थान, पाड़लीपुर, लालकुआँ (हल्द्वानी), जिला–नैनीताल।

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-2 की प्रविष्टि संख्या–6, जिला–नैनीताल में Category-B " Proposed Industrial Estates/Area" के अन्तर्गत क्रमांक–7 पर ग्राम–पाड़लीपुर, लालकुआँ (हल्द्वानी), जिला–नैनीताल। के अन्तर्गत अधिसूचित खसरा नम्बरों का विवरण:

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
पाड़लीपुर	28 से 30, 33, 34, 36 से 38, 40, 41, 46 से 51, 53 से 57, 59 से 62, 64, 66 से 77, 79, 80 से 89, 91 से 94, 97 से 100 से 103, 105 से 110, 127 से 130, 142, 143 से 152, 154 से 161, 163 से 168, 169, 171 से 174, 176 से 178, 180 से 184, 186, 188 से 204, 206 से 218, 246, 247 से 257	46.93

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 596/औ.वि./07–उद्योग/2005–06
दिनांक : देहरादून : 17 फरवरी, 2006

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन मै. उत्तम शुगर मिल्स लि., नेशनल हाईवे 58, ग्राम–लिब्बरहेड़ी, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार, प्रवर्तक मै. उत्तम इण्डस्ट्रियल पार्क द्वारा ग्राम–मुन्डियाकीं, कुलचन्दी, खुण्डी व दहियाकी, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार में चिन्हित/संक्रमित 63.94 एकड़ (25.8765 हैक्टेयर) भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित हैं, की सीमा निरंतरता में 30 एकड़ से अधिक होने के फलस्वरूप एतदद्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. उत्तम इण्डस्ट्रियल पार्क नाम से निजी क्षेत्र का औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र घोषित/अधिसूचित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-2 की प्रविष्टि संख्या–5, जिला–हरिद्वार में Category-C "Industrial Activity in Non Industrial Area (to be notified along with extension)" के अन्तर्गत क्रमांक–7, 8, 9 व 10 पर क्रमशः ग्राम–कुलचन्दी, खुण्डी, मुन्डियाकी व दहियाकी, तहसील–रूड़की के अन्तर्गत अधिसूचित हैं तथा जिसे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या–27/2005–केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 19 मई, 2005 के Annexure-2, Para-G(iii)(a) से "Industrial Activity in Non Industrial Area" में प्रतिस्थापित (substituted) किया जा चुका है। अतः भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 19 मई, 2003 के Para-2(a) & (b) में दी गई व्यवस्थानुसार उक्त शीर्ष के अन्तर्गत Annexure-2 में सम्मिलित/अधिसूचित भूमि के खसरा नम्बरों में दिनांक 7–1–2003 के पश्चात् स्थापित होकर उत्पादन प्रारम्भ करने वाली नई औद्योगिक इकाईयों (नकारात्मक सूची को छोड़कर) भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।
2. इस आस्थान की भूमि आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी मै. उत्तम शुगर मिल लि. के नाम खसरा खतौनी में दर्ज है तथा जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत भूमि के खसरा नम्बरों को औद्योगिक भूमि घोषित किया गया है। अतः आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य, आस्थान के प्रवर्तक द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा उद्योगों हेतु भूमि आवंटन/विक्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी से नियमतः स्वीकृतियां/अनुमति प्राप्त की जायेगी।
3. आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व GDCR–2004 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् मानचित्र व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करानी होगी।

4. आवंटियों के पक्ष में की जाने वाली convenyance deed/saledeed की प्रति, जिसमें आवंटन की शर्तों एवं मानकों का उल्लेख हो, की प्रति निदेशक उद्योग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तकों/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय इस प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. निजी क्षेत्र के औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य दिशा निर्देशों एवं मानकों का पूर्णतः पालन करना आवश्यक होगा।

7. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 596/**उक्त/तद्दिनांकित** 17-2-06

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
9. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
10. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
11. मै. उत्तम शुगर मिल्स लि., नेशनल हाईवे 58, ग्राम-लिब्बरहेड़ी, तहसील-रूड़की, जिला-हरिद्वार।
12. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
13. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 596 /औ.वि./07–उद्योग/05–06
दिनांक : देहरादून : 17 फरवरी, 2006

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. उत्तम इण्डस्ट्रियल पार्क,
ग्राम–मुन्डियाकी, कुलचन्दी, खुण्डी व दहियाकी,
परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार।

(क) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-2 की प्रविष्टि संख्या–5, जिला–हरिद्वार में Category-C "Industrial Activity in Non Industrial Area (to be notified along with extension)" के अन्तर्गत क्रमांक–7, 8, 9 व 10 पर ग्राम–मुन्डियाकी, कुलचन्दी, खुण्डी व दहियाकी, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार के अन्तर्गत अधिसूचित खसरा नम्बर, जिन्हें भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या–27/2005–केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 19 मई, 2005 के Annexure-2, Para-G(iii)(a) से "Industrial Activity in Non Industrial Area" में प्रतिस्थापित (substituted) किया गया है, का विवरण :

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
दहियाकी	1, 89, 90	3.5477
खुण्डी	38, 39, 40, 41, 42, 44 से 77	26.0577
कुलचन्दी	106 से 111, 118	33.2392
मुन्डियाकी	349	1.0986
	कुल क्षेत्रफल :–	**63.9432**

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 305 /औ.वि./07-उद्योग/2006-07
दिनांक : देहरादून : 08 नवम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या-940/औ.वि./07-उद्योग/2004-05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन मै. गोल्ड प्लस ग्लास इण्डस्ट्री लि., गोल्ड प्लस हाउस, जी-192, प्रशान्त विहार, दिल्ली द्वारा ग्राम-थाथौला, परगना-मंगलौर, तहसील-रूड़की, जिला-हरिद्वार में चिन्हित/संक्रमित 33.257 हैक्टेयर भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक-1** में उल्लिखित हैं, की सीमा निरंतरता में 60 एकड़ से अधिक होने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. गोल्ड प्लस इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम-थाथौला, परगना-मंगलौर, तहसील-रूड़की, जिला-हरिद्वार नाम से निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के रूप में घोषित/अधिसूचित किया जाता है :-

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक-1** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-50/2003-के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-2 के क्रमांक-5, जिला-हरिद्वार में Category D "Expansion of Existing Estates" **के अन्तर्गत क्रमांक-6** पर ग्राम-थाथौला, परगना-मंगलौर, तहसील-रूड़की, जिला-हरिद्वार के अधीन अधिसूचित हैं, जिनमें दिनांक 7-1-2003 के पश्चात् स्थापित होकर उत्पादन प्रारम्भ करने वाली नई औद्योगिक इकाईयों (नकारात्मक सूची को छोड़कर) भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. औद्योगिक आस्थान के विकास के लिए, **अनुलग्नक-2** में दिये गये जी. आई.डी.सी.आर.-2006 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, विधियों/उपविधियों व उपबन्धों (पृष्ठ संख्या-34 से 37) का पूर्णतः पालन करना होगा।

3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा क्रय अनुबन्धित है तथा जिसके लिए राजस्व विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या-50-भू.क्य/18(1)/2006 दिनांक 29 जून, 2006, शासनादेश संख्या-393-भू.क्य/18(1)/2006 दिनांक 12 जुलाई, 2006 एवं शासनादेश संख्या-भू.औ.-72/18(1)/2006 दिनांक 12 जुलाई, 2006 से ग्राम-थाथौला, परगना-मंगलौर, तहसील-रूड़की, जिला-हरिद्वार की काश्तकारों/ग्रामसभा की भूमि क्रय करने/पट्टे पर आवंटित किये जाने स्वीकृति मै. गोल्ड प्लस ग्लास इण्डस्ट्री लि. के नाम जारी की जा चुकी है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्रय की जाने वाली/पट्टे पर ली जाने वाली भूमि का क्रय विलेख पत्र/लीज डीड निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् मानचित्र व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करानी होगी।

4. इस औद्योगिक आस्थान के रख-रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य, आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा स्वयं किया जायेगा।

5. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तकों/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. निजी क्षेत्र के औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, यथाः औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरॉचल शासन की नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी, का पूणतः पालन किया जायेगा।

7. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या /उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव/अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तरॉचल शासन।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
10. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
11. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
12. श्री सुभाष त्यागी, प्रबन्ध निदेशक, मै. गोल्ड प्लस ग्लास इण्डस्ट्री लि., गोल्ड प्लस हाउस, जी-192, प्रशान्त बिहार, दिल्ली।
13. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 306 /औ.वि./07–उद्योग/06–07
दिनांक : देहरादून :1| नवम्बर, 2006

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. गोल्ड प्लस इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल इस्टेट,
ग्राम–थाथौला, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की,
जिला–हरिद्वार।

(क) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-2 की प्रविष्टि संख्या–5, जिला–हरिद्वार में Category-D "Expansion of the Existing Industrial Estate" के अन्तर्गत क्रमांक–6 पर ग्राम–थाथौला, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार के अन्तर्गत अधिसूचित खसरा नम्बरों का विवरण :

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
ग्राम–थाथौला, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की		
संक्रमणीय भूमि	3, 5, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 35, 37. 40, 41, 42, 43, 61, 62, 63, 64/2, 66/2, 67/3, 64/1, 77म, 74, 59/1, 59/2, 60, 75म, 76, 65, 66म, 67म, 69, 70, 80, 81, 82म, 83, 194, 84, 85म, 120म, 89, 90म, 108म 109, 110म, 112म, 113, 112म, 114, 115, 117, 118, 116, 125, 192म	14.098
संक्रमणीय भूमि	94म, 95, 96, 97, 99, 101म, 102, 110म, 187, 188, 189, 58, 98, 188, 188म, 103म, 103म, 100, 104म, 104म, 119/1, 104म, 104म, 105, 16,	5.461

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 314 /औ.वि./07–उद्योग/2006–07
दिनांक : देहरादून : 06. नवम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ. वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के पत्रांक–1642/नि.औ.आ./2006–07 दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मै. जिन्दल वेजिटेवल प्रोडक्ट्स लि., नारायण नगर बाजपुर रोड़, काशीपुर (उद्यमसिंहनगर) द्वारा ग्राम–महुखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर) में चिन्हित/क्रय अनुबन्धित 71.42 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में अंकित हैं, को एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. बालाजी इण्डस्ट्रियल इस्टेट नाम से निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित/विनियमित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला–उद्यमसिंहनगर के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/Areas के रूप में ग्राम–महुआखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को (नकारात्मक सूची में सम्मिलित तथा राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित इकाईयों को छोड़कर) विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. औद्योगिक आस्थान के विकास के लिए, **अनुलग्नक–2** में दिये गये जी. आई.डी.सी.आर.–2006 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2006 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करानी होगी।

4. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तकों का होगा।

5. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तकों/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी, का पालन किया जायेगा।

7. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 3450(1)/उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्यमसिंहनगर।
13. श्री अपूर्व जिन्दल, निदेशक, मै. जिन्दल वेजिटेवल लि., प्रवर्तक मै. बालाजी इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम-महुआखेड़ागंज, तहसील-काशीपुर (जिला-उद्यमसिंहनगर)।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 315 /औ.वि./07–उद्योग/06–07
दिनांक : देहरादून : 01 नवम्बर, 2006

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. बालाजी इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–महुआखेड़ागंज, काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर)।

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
महुआखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर	672मि., 673, 674, 675मि., 678, 679, 680, 681, 682, 683, 686मि., 687मि., 689, 691, 701, 703, 702/1, 704, 705, 707/1, 722, 723/1, 724मि., 727, 728, 729, 731, 732मि., 733, 737, 738, 809, 816, 817, 819, 822, 823, 824, 820/1/1, 820/1/2, 820/1/3,	71.42

4/11/06
(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 316 /औ.वि./07–उद्योग/2006–07
दिनांक : देहरादून : 06 नवम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के पत्रांक–1642/नि.औ.आ./2006–07 दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मै. जिन्दल होलीडेज प्रा.लि., रामनगर रोड़, काशीपुर (उद्यमसिंहनगर) द्वारा ग्राम–महुखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर) में चिन्हित/क्रय अनुबन्धित 69.153 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में अंकित हैं, को एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. नन्द नगर औद्योगिक आस्थान (फेज–II) नाम से निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित/विनियमित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला–उद्यमसिंहनगर के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/Areas के रूप में ग्राम–महुआखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को (नकारात्मक सूची में सम्मिलित तथा राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित इकाईयों को छोड़कर) विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. औद्योगिक आस्थान के विकास के लिए, **अनुलग्नक–2** में दिये गये जी.आई.डी.सी.आर.–2006 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2006 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करानी होगी।

4. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तकों का होगा।

5. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तकों/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी, का पालन किया जायेगा।

7. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

4/x/10

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 3/6(1)/उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्यमसिंहनगर।
13. श्री विकास जिन्दल, निदेशक, मै. जिन्दल होलीडेज प्रा.लि., प्रवर्तक मै. नन्द नगर औद्योगिक आस्थान, ग्राम-महुआखेड़ागंज, तहसील-काशीपुर (जिला-उद्यमसिंहनगर)।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

4/x/10

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 317 /औ.वि./07–उद्योग/06–07
दिनांक : देहरादून : 06 नवम्बर, 2006

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. नन्द नगर औद्योगिक आस्थान, फेज–II, ग्राम–महुआखेड़ागंज, काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर)।

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
महुआखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर	1182, 1183, 1185, 1187मि., 1188, 1189, 1190, 1217, 1219, 1220, 1222, 1224मि., 1224/1, 1224/2, 1225मि., 1227, 1230, 1232/1, 1232/2, 1249, 1251	69.153

4/11/06
(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 335 /औ.वि./07–उद्योग/2006–07
दिनांक : देहरादून : 20 नवम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार) के पत्रांक–514/नि.औ.आ./जि.उ.के/2006–07 दिनांक 31–5–2006 से प्राप्त रूड़की इण्डस्ट्रियल एशोसिएशन (सोसायटी पंजीकरण संख्या–306/2006–07 दिनांक 10–7–2006), निकट जैनिथ इण्डस्ट्री, सलेमपुर राजपुतान, रूड़की (हरिद्वार) के प्रस्ताव पर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–सी.ई दिनांक 10 जून, 2003 के एनैक्जर–2 में Category-C Existing Industrial Activity in Non-Industrial Area तथा Category-D Expansion of the Existing Industrial Estates के रूप में ग्राम–सुनहरा/सलेमपुर राजपुतान, तहसील–रूड़की (जिला–हरिद्वार) की जिला हरिद्वार की अधिसूचित/चिन्हित 60.11 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में अंकित हैं, को एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. सलेमपुर राजपुतान इण्डस्ट्रियल इस्टेट नाम से औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित/विनियमित किया जाता है :–

1. ज्ञाप के **अनुलग्नक–1** में अंकित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला–उद्यमसिंहनगर के अन्तर्गत Category-C Existing Industrial Activity in Non-Industrial Area तथा Category-D Expansion of the Existing Industrial Estates के रूप में अधिसूचित हैं तथा इस अधिसूचित भूमि पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को (नकारात्मक सूची में सम्मिलित तथा राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित इकाईयों को छोड़कर) विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. औद्योगिक आस्थान के विकास के लिए, **अनुलग्नक–2** में दिये गये जी.आई.डी.सी.आर.–2006 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान में स्थापित हो रही औद्योगिक इकाईयों के स्वामित्व तथा रूड़की इण्डस्ट्रियल एशोसिएशन द्वारा अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।

4. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं, यथाः सड़क व नालियों का निर्माण, पानी की व्यवस्था, हरित पट्टी का विकास का पूर्ण दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक/फैसिलिटेटर रूड़की इण्डस्ट्रियल एशोसिएशन का होगा।

5. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तकों/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों, यथा: प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी, का पालन किया जायेगा।

7. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 3350/उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्यमसिंहनगर।
13. सचिव, रूड़की इण्डस्ट्रियल एशोसिएशन (सोसायटी पंजीकरण संख्या–306/2006–07 दिनांक 10–7–2006), निकट जैनिथ इण्डस्ट्री, सलेमपुर राजपुतान, रूड़की (हरिद्वार), प्रवर्तक/फैसिलिटेटर, मै. सलेमपुर राजपुतान इण्डस्ट्रियल इस्टेट ग्राम–सुनहरा/सलेमपुर राजपुतान, तहसील–रूड़की (जिला–हरिद्वार)।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या335(ii)/औ.वि./07–उद्योग/06–07
दिनांक : देहरादून : 20 नवम्बर, 2006

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. सलेमपुर राजपुतान इण्डस्ट्रियल इस्टेट ग्राम–सलेमपुर राजपुतान, तहसील–रूड़की (जिला–हरिद्वार)।

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
सुनहरा/सलेमपुर राजपुतान	**Category-C Existing Industrial Activity in Non-Industrial Area** : 118, 1086 से 1088, 1091एम से 1095एम	12.73
सलेमपुर राजपुतान तहसील–रूड़की	**Category-D Expansion of the Existing Industrial Estates** : 88, 89, 92 से 111, 131, 138, 979 से 1001, 1007 से 1016, 1026 से 1028, 1074 से 1085, 1089 से 1090, 1100 से 1107, 1112, 1113, 1145 से 1146, 1152 से 1158	47.38
		60.11

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 372 /औ.वि./07–उद्योग/2006–07
दिनांक : देहरादून : ~~नवम्बर~~ 5/12/2006, 2006

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9./10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हरिद्वार के पत्रांक–2605/जि.उ.के./औ.आ./2006–07 दिनांक 16 नवम्बर, 2006 से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वश्री जय प्रकश एशोसिएट्स लि., जे.ए. हाउस–63, बसंत लोक, बसंत बिहार, नई दिल्ली द्वारा ग्राम–नल्हेड़ी देहवीरान, परगना–भगवानपुर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार में कय अनुबन्धित 30.44 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में अंकित हैं, को एतदद्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित/विनियमित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 तथा अधिसूचना संख्या–27/2005–के.उ.शुल्क दिनांक 19 मई, 2005 के Annexure-II में जिला–हरिद्वार के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/Areas के रूप में ग्राम–नल्हेड़ी देहवीरान, तहसील–रूड़की के अन्तर्गत अधिसूचित/प्रतिस्थापित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को (नकारात्मक सूची में सम्मिलित तथा राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित इकाईयों को छोड़कर) विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, **अनुलग्नक–2** में दिये गये जी.आई.डी.सी.आर.–2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

3. इस विशेष औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा कय अनुबन्धित हैं। अतः spot zoning क्षेत्र के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।

4. विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तकों का होगा।

5. विशेष औद्योगिक क्षेत्र के प्रवर्तकों/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों, यथा: प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक क्षेत्र में नहीं की जायेगी, का पालन किया जायेगा।

7. विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा) 5/12/06
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 372/उक्त/तद्दिनांकित 5/12/06

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हरिद्वार।
13. सर्वश्री जयप्रकाश एशोसिएट्स लि., जे.ए. हाउस–63, बसंत लोक, बसंत बिहार, नई दिल्ली।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा) 5/12/06
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 373 /औ.वि./07–उद्योग/06–07
दिनांक : देहरादून : , ~~नवम्बर~~, 2006 5/12/2006

विशेष औद्योगिक क्षेत्र का नाम एवं स्थल :

मै. जयप्रकाश एशोसिएट्स लि., ग्राम–नल्हेड़ी देहवीरान, परगना–भगवानपुर, तहसील–रुड़की, जिला–हरिद्वार।

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
नल्हेड़ी, देहवीरान	148 से 152, 155, 158 से 171, 173, 175	30.44

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 378 /औ.वि./07–उद्योग/2006–07
दिनांक : देहरादून : 8 दिसम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ. वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन बिरला टायर्स (ए यूनिट ऑफ केसोरम इण्डस्ट्रीज लि.), 9/1 आर.एन., मुखर्जी रोड, कोलकाता से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 20–11–2006 पर सम्यक विचारोपरान्त मै. बिरला टायर्स द्वारा ग्राम–खेड़ी मुबारकपुर, तहसील–लक्सर, जनपद–हरिद्वार में क्रय अनुबन्धित 106.99 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में अंकित हैं, को एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. बिरला टायर्स इण्डस्ट्रियल इस्टेट नाम से निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित/विनियमित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1 के खण्ड–क** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला–हरिद्वार के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/Areas के रूप में ग्राम–खेड़ी मुबारकपुर, तहसील–लक्सर, जनपद–हरिद्वार के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को (नकारात्मक सूची में सम्मिलित इकाईयों को छोड़कर) विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा। **अनुलग्नक–1 के खण्ड–ख** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार से अधिसूचित नहीं है, जिनमें भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7 जनवरी, 2003 के Annexure-II में उल्लिखित थ्रस्ट इण्डस्ट्रीज के कियाकलापों को ही विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. औद्योगिक आस्थान के विकास के लिए, **अनुलग्नक–2** में दिये गये जी. आई.डी.सी.आर.–2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।

4. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा।

5. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तक/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों, यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी, का पालन किया जायेगा।

7. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 378 /उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हरिद्वार।
13. मै. बिरला टायर्स (ए यूनिट ऑफ केसोरम इण्डस्ट्रीज लि.), 9/1 आर.एन., मुखर्जी रोड़, कोलकाता, प्रवर्तक, मै. बिरला टायर्स इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–खेड़ी मुबारकपुर, तहसील–लक्सर, जनपद–हरिद्वार।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 378 /औ.वि./07–उद्योग/06–07
दिनांक : देहरादून : 8 दिसम्बर, 2006

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. बिरला टायर्स इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–खेड़ी मुबारकपुर, तहसील–लक्सर, जनपद–हरिद्वार।

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
खेड़ी मुबारकपुर, तहसील–लक्सर (Nofified wide Govt. of India notification no. 50/2003-CE dated 10 June, 2003 under Category-B Proposed Industrial Estates/Areas at Serial no.-6)	**खण्ड–क:** 26 से 29, 30 से 34 37, 38/1, 38/2, 38/3, 39/1, 39/2, 40, 41, 48, 49, 52 से 61, 64/1, 64/2, 65 से 70	83.78
खेड़ी मुबारकपुर, तहसील–लक्सर (Un-nofified)	**खण्ड–ख:** 35, 36, 62, 63	23.21

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 379 /औ.वि./07-उद्योग/2006-07
दिनांक : देहरादून : 8 दिसम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या-940/औ.वि./07-उद्योग/2004-05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन मै. आई.डी.ई.बी. प्रोजैक्ट्स प्रा.लि., के प्रस्ताव दिनांक 27-11-2006 से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मै. आई.डी.ई.बी. प्रोजैक्ट्स प्रा.लि., एफ-35, साउथ एक्सटैन्शन पार्ट-1, नई दिल्ली द्वारा ग्राम-महुवाखेड़ागंज, तहसील-काशीपुर (जिला-उद्यमसिंहनगर) में क्रय अनुबन्धित 72.00 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर अनुलग्नक-1 में अंकित हैं, को एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. आई.डी.ई.बी. इण्डस्ट्रियल इस्टेट नाम से निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित/विनियमित किया जाता है :-

1. इस ज्ञाप के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-50/2003-के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला-उद्यमसिंहनगर के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/Areas के रूप में ग्राम-महुवाखेड़ागंज, तहसील-काशीपुर के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. औद्योगिक आस्थान के विकास के लिए, अनुलग्नक-2 में दिये गये जी.आई.डी.सी.आर.-2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।

4. औद्योगिक आस्थान के रख-रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा।

5. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों, यथा: प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी, का पालन किया जायेगा।

7. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 379 /उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्यमसिंहनगर।
13. मै. आई.डी.ई.बी. प्रोजैक्ट्स प्रा.लि., एफ–35, साउथ एक्सटैन्शन पार्ट–1, नई दिल्ली, प्रवर्तक, मै. आई.डी.ई.बी. इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–महुवाखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर)।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या-379 /औ.वि./07–उद्योग/06–07
दिनांक : देहरादून : 8 दिसम्बर, 2006

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. आई.डी.ई.बी. इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–महुवाखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर)।

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
महुवाखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर	109, 538मि., 539, 543, 545, 548, 549, 553, 554, 555, 556, 557, 560, 561, 562, 563, 565मि., 568, 569, 570मि., 571, 573मि., 580, 581मि., 585मि., 586, 587, 588मि., 592मि., 593	72.00

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः2568/VII-II/125-उद्योग/2007
देहरादूनः दिनांकः24 फरवरी, 2009

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 11/औ0वि0/07–उद्योग/2004 दिनांक 27 जनवरी, 2004 तथा 940/औ0वि0/07–उद्योग/04–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा जारी नीति/दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत निजी औद्योगिक आस्थान अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति–निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र संख्याः 362/उ0नि0– नि0औ0आ0/2008–09 दिनांक 28 अप्रैल, 2008 के सन्दर्भ में मै0 आई0डी0ई0बी0 प्रोजेक्ट प्रा0लि0 द्वारा मै0 आई0डी0ई0बी इण्डस्ट्रियल इस्टेट, फेज–1, महुवाखेड़ागंज, काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर के विस्तारीकरण हेतु ग्राम महुवाखेड़ागंज, तहसील काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में कय अनुबन्धित कुल 58.176 है0 अतिरिक्त भूमि जिसके खसरा नम्बर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय निजी औद्योगिक आस्थान के विस्तार के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
ग्राम–महुवाखेड़ागंज तहसील–काशीपुर	533मि, 534, 535, 552, 575, 576/2, 576/3, 576मि, 578, 599/1, 599/2, 602, 603, 607, 609 से 612, 615 से 617, 620मि, 621, 621/1319, 622 से 623, 624 मि, 625, 626, 628, 629, 630मि, 631, 632मि, 633मि, 634, 635, 636, 639मि, 641मि, 643, 644, 646, 647, 651 से 657, 660, 661, 662मि, 663 से 666, 667मि, 668	58.176

2– उक्त तालिका में अंकित खसरा संख्या भारत सरकार की अधिसूचना सख्याः 50/2003–के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला हरिद्वार के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/ Area के अन्तर्गत ग्राम महुवाखेड़ागंज, तहसील काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत अधिसूचित हैं जिन पर स्थापित होने वाले प्रस्तावित नयी औद्योगिक इकाईयों **(नकारात्मक सूची के उद्योगो को छोड़कर)** को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा। खसरा संख्या–621/1319 कुल रकबा 0.1620 है0 भारत सरकार से अधिसूचित नहीं है तथा इस भूमि पर केवल थ्रस्ट उद्योग की स्थापना पर ही विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

3– GIDCR-2005 के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4– इस विशेष औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

5– विशेष औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आंवटी इकाईयों को आवटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

6– आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/ अनुमोदन/ अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

7– सभी आवंटियों से यह अण्डरटेकिंग लिखित में देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की (Sale Deed)/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

8– प्रवर्तक कम्पनी को आस्थान की स्थापना विकास के पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी से इसके लिए आवश्यक सहमति/अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

9– औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत उप केन्द्र की स्थापना स्वयं प्रवर्तक द्वारा की जायेगी।

10– विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

11– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 2568 (1)/VII-II-/125–उद्योग/2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधमसिंहनगर।
14. मै0 आई0डी0ई0बी0 प्रोजैक्ट प्रा0लि0,सिगमा साफ्टटैक पार्क, 9 वीं व 10 वीं मंजिल, डेल्टा ब्लाक–7, व्हाईट फील्ड, मुख्य मार्ग, वरथुर लेक, बंगलौर।।
15. NIC Uttarakhand : सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 380/औ.वि./07–उद्योग/2006–07
दिनांक : देहरादून : 8 नवम्बर, 2006
दिसम्बर

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ. वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्यमसिंहनगर के पत्रांक–1946/नि.औ.आ./2006–07 दिनांक 17 नवम्बर, 2006 से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री बलराज गोयल एवं श्री सतीश गोयल, नन्दपुर, नरका टोपा, रामराज फार्म, बाजपुर, जिला–उद्यमसिंहनगर द्वारा ग्राम–विक्रमपुर, तहसील–बाजपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर) में अर्जित/अनुबन्धित 81.78 एकड भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में अंकित हैं, को एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तो के साथ मै. राम राज इण्डस्ट्रियल इस्टेट नाम से निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित/विनियमित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला–उद्यमसिंहनगर के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/Areas के रूप में ग्राम–विक्रमपुर, तहसील–बाजपुर के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को (नकारात्मक सूची में सम्मिलित तथा राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित इकाईयों को छोड़कर) विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. औद्योगिक आस्थान के विकास के लिए, **अनुलग्नक–2** में दिये गये जी. आई.डी.सी.आर.–2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तकों/प्रवर्तकों के पारिवारिक सदस्यों द्वारा अर्जित/स्वामित्व मे है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।

4. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तकों का होगा।

5. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तकों/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तरांचल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी, का पालन किया जायेगा।

7. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 380/उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्यमसिंहनगर।
13. श्री बलराज गोयल एवं श्री सतीश गोयल, नन्दपुर, नरका टोपा, रामराज फॉर्म, बाजपुर, जिला-उद्यमसिंहनगर, प्रवर्तक, मै. राम राज इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम-विकमपुर, तहसील-बाजपुर (जिला-उद्यमसिंहनगर)।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 380 /औ.वि./07–उद्योग/06–07
दिनांक : देहरादून : 8 नवम्बर, 2006

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. राम राज इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–विकमपुर, तहसील–बाजपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर)।

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
विकमपुर, तहसील–बाजपुर	268/1/1, 268/1/2, 269/1/1/1, 269/1/2, 269/3, 269/3/2, 269/4, 270/4, 270/5, 278/4/1, 279/4/1, 279/6, 280/6 (भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यां–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में Category-B Proposed Industrial Estates/Areas के रूप में जिला उद्यमसिंहनगर के अन्तर्गत कमांक–11 ग्राम–विकमपुर के सम्मुख अधिसूचित खसरा संख्या–264 से 272 व 278 से 282 मध्यं)	81.78

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 381 /औ.वि./07–उद्योग/2006–07
दिनांक : देहरादून : 8 नवम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन मै. मंगलम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड डेवलपर्स, प्रथम तल, तनेजा ऑटोमोबाईल्स, आजाद नगर, नजदीक सबजेल, रूडकी (हरिद्वार) से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 20–11–2006 पर सम्यक विचारोपरान्त मै. मंगलम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा ग्राम–थाथौला व खेमपुर, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार में चिन्हित/क्रय अनुबन्धित 63.02 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर अनुलग्नक–1 में अंकित हैं, को एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. मंगलम इण्डस्ट्रियल इस्टेट नाम से निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित/विनियमित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के अनुलग्नक–1 के खण्ड–क में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला–हरिद्वार के अन्तर्गत Category-D Expansion of Existing Estates के रूप में ग्राम–थाथौला व खेमपुर, तहसील–रूड़की के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को (नकारात्मक सूची में सम्मिलित इकाईयों को छोड़कर) विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा। अनुलग्नक–1 के खण्ड–ख में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार से अधिसूचित नहीं है, जिनमें भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7 जनवरी, 2003 के Annexure-II में थ्रस्ट इण्डस्ट्रीज के रूप में अधिसूचित कियाकलापों में ही विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।
2. औद्योगिक आस्थान के विकास के लिए अनुलग्नक–2 में दिये गये जी.आई.डी.सी.आर.–2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।
3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करानी होगी।
4. औद्योगिक आस्थान हेतु ग्राम–थाथौला, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की स्थित ग्राम समाज की 14.050 एकड़ भूमि जिसके सममूल्य की भूमि ग्राम समाज को दिये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत थाथौला के प्रधान को प्रस्ताव दिया गया है, की विधिवत् सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
5. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तकों का होगा।

6. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तकों/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तरांचल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, यथा: प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी, का पालन किया जायेगा।

8. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 381 /उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
13. मै. मंगलम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड डेवलपर्स, प्रथम तल, तनेजा ऑटोमोबाईल्स, आजाद नगर, नजदीक सब्जेल, रूड़की (हरिद्वार), प्रवर्तक, मै. मंगलम इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम-थाथौला व खेमपुर, परगना-मंगलौर, तहसील-रूड़की, जिला-हरिद्वार।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 381 /औ.वि./07–उद्योग/06–07
दिनांक : देहरादून : 8 नवम्बर, 2006

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. मंगलम इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–थाथौला व खेमपुर, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार।

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
ग्राम–थाथौला व खेमपुर, तहसील–रूड़की (Nofified wide Govt. of India notification no. 50/2003-CE dated 10 June, 2003 under Category-D at Serial no.-4 &6)	**खण्ड–क:** 234, 234, 236/1, 237, 200/म, 303, 309, 310, 196/म, 225, 313, 314, 159/म, 147/म, 211/म, 220, 221/म, 149/म, 158, 173, 174, 171, 175/म, 181, 199/म, 173/म, 308, 226, 227, 233/म, 228, 229, 236/2, 304/म, 316, 180/म, 149, 160, 161, 219, 220/म, 215, 216, 196/म, 197, 205, 206, 207, 208, 304/म, 315, 199/म, 200/म, 201, 223, 224, 180/म, 158/म, 232/म, 202/2, 170, 171/म, 172, 181/म, 180, 182/म, 231/2/म, 232/म, 185/म, 152, 153, 154, 203, 204, 191, 148/2, 178, 202/2, 151, 179, 159, 179/म, 157	47.27
ग्राम–थाथौला, तहसील–रूड़की (Un-nofified)	**खण्ड–ख:** 337/म, 150/2, 248/1/4, 158/म, 159/म, 162, 198/म, 148/1, 196/म, 202/1, 217/म, 305, 200/म, 214/म, 233/म, 213/म, 198/म, 202/2/म, 184/म, 185/म, 186, 209, 217/म, 218, 222, 155/म, 175/म, 210, 211/म, 212, 223, 231म, 232म	15.60

(संजीव चोपड़ा) 8/11
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 382/औ.वि./07–उद्योग/2006–07
दिनांक : देहरादून : 8 नवम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के पत्रांक–1946/नि.औ.आ./2006–07 दिनांक 17 नवम्बर, 2006 से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री पवन कुमार जिन्दल एवं श्री गुरनाम सिंह गिल, रामराज रोड़, बाजपुर, जिला–उद्यमसिंहनगर द्वारा ग्राम–विक्रमपुर, तहसील–बाजपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर) में अर्जित/अनुबन्धित 72.140 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में अंकित हैं, को एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. जे. एण्ड जी. विक्रमपुर औद्योगिक आस्थान नाम से निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित/विनियमित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला–उद्यमसिंहनगर के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/Areas के रूप में ग्राम–विक्रमपुर, तहसील–बाजपुर के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को (नकारात्मक सूची में सम्मिलित तथा राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित इकाईयों को छोड़कर) विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. औद्योगिक आस्थान के विकास के लिए, **अनुलग्नक–2** में दिये गये जी.आई.डी.सी.आर.–2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा अर्जित/अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।

4. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तकों का होगा।

5. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तकों/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों, यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी, का पालन किया जायेगा।

7. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या /उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्यमसिंहनगर।
13. श्री पवन कुमार जिन्दल एवं श्री गुरनाम सिंह गिल, रामराज रोड़, बाजपुर, जिला–उद्यमसिंहनगर, प्रवर्तक, मै. जे. एण्ड जी. विक्रमपुर औद्योगिक आस्थान, ग्राम–विक्रमपुर, तहसील–बाजपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर)।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 382/औ.वि./07–उद्योग/06–07
दिनांक : देहरादून : 8 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2006

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. जे. एण्ड जी. विकमपुर औद्योगिक आस्थान, ग्राम–विकमपुर, तहसील–बाजपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर)।

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
विकमपुर, तहसील–बाजपुर	261/1, 261/4, 261/6, 261/1/2, 264/5, 278/15, 278/5/1, 278/6, 279/1, 279/2, 279/4/2 (भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में Category-B Proposed Industrial Estates/Areas के रूप में जिला उद्यमसिंहनगर के अन्तर्गत कमांक–11 ग्राम–विकमपुर के सम्मुख अधिसूचित खसरा संख्या–261 से 263, 264 से 272 व 278 से 282 मध्ये)	72.140

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 383 /औ.वि./07–उद्योग/2006–07
दिनांक : देहरादून : 14 दिसम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन मै. संगनेरिया स्पिनिंग मिल्स लि., 709, प्रगति टावर, 7वां तल, 26 राजेन्द्र पैलेस, नई दिल्ली से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 28–11–2006 पर सम्यक विचारोपरान्त मै. संगनेरिया स्पिनिंग मिल्स लि. द्वारा ग्राम–नादेही, परगना व तहसील–जसपुर, जनपद उद्यमसिंहनगर में चिन्हित/कय अनुबन्धित 60.07 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में अंकित हैं, को एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. धनलक्ष्मी इण्डस्ट्रियल इस्टेट नाम से निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित/विनियमित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनाक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला–उद्यमसिंहनगर के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/Areas के रूप में ग्राम–नादेही, तहसील–जसपुर के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को (नकारात्मक सूची में सम्मिलित तथा राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित इकाईयों को छोड़कर) विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. औद्योगिक आस्थान के विकास के लिए, **अनुलग्नक–2** में दिये गये जी.आई.डी.सी.आर.–2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।

4. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा।

5. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तक/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तरांचल द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों, यथा: प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी, का पालन किया जायेगा।

7. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 383/उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्यमसिंहनगर।
13. मै. संगनेरिया स्पिनिंग मिल्स लि., 709, प्रगति टावर, 7वां तल, 26 राजेन्द्र पैलेस, नई दिल्ली, प्रवर्तक, मै. धनलक्ष्मी इण्डस्ट्रियल इस्टेट ग्राम–नादेही, परगना व तहसील–जसपुर, जनपद उद्यमसिंहनगर।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैवसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 383 /औ.वि./07–उद्योग/06–07
दिनांक : देहरादून : 14 दिसम्बर, 2006

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. धनलक्ष्मी इण्डस्ट्रियल इस्टेट ग्राम–नादेही, परगना व तहसील–जसपुर, जनपद उद्यमसिंहनगर।

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
नादेही, तहसील–जसपुर	189, 190, 191ए, 191बी, 192 से 202, 209, 210, 212, 213	60.07

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

DHANALAKSHMI
INDUSTRIAL ESTATE

DHANALAKSHMI
INDUSTRIAL ESTATE

DHANALAKSHMI
INDUSTRIAL ESTATE

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 388 /औ.वि./07–उद्योग/2006–07
दिनांक : देहरादून : 20 दिसम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ. वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन श्री संजय लखोटिया व श्री एन.के. लोहिया के प्रस्ताव दिनांक 4–12–2006 से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री संजय लखोटिया व श्री एन.के. लोहिया, ए.ओ.पी., श्री डेवलपर्स, महुवाखेड़ागंज, अलीगंज रोड़, काशीपुर (उद्यमसिंहनगर) द्वारा ग्राम–महुवाखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर) में कय अनुबन्धित 64.55 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में अंकित हैं, को एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. श्री डेवलपर्स इण्डस्ट्रियल इस्टेट नाम से निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित/विनियमित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला–उद्यमसिंहनगर के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/Areas के रूप में ग्राम–महुवाखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. औद्योगिक आस्थान के विकास के लिए, **अनुलग्नक–2** में दिये गये जी. आई.डी.सी.आर.–2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।

4. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा।

5. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों, यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी, का पालन किया जायेगा।

7. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 388/उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्यमसिंहनगर।
13. श्री संजय लखोटिया व श्री एन.के. लोहिया, ए.ओ.पी., श्री डेवलपर्स, महुवाखेड़ागंज, अलीगंज रोड़, काशीपुर (उद्यमसिंहनगर), प्रवर्तक, मै. श्री डेवलपर्स इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–महुवाखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर)।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 388/औ.वि./07–उद्योग/06–07
दिनांक : देहरादून : 20 दिसम्बर, 2006

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. श्री डेवलपर्स इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–महुवाखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर)।

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
महुवाखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर	142, 143, 158, 159, 161मि., 163, 167, 168, 170, 171, 172मि., 175, 176मि., 176/2, 176/3, 177, 178, 179, 180, 181, 391, 395/3, 396, 402मि., 403, 517/1, 520मि., 527/1	64.55

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 395 /औ.वि./07–उद्योग/2006–07
दिनांक : देहरादून :26 दिसम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ. वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन श्री प्रशान्त पाण्डा, निदेशक, मै. बुलन्द बिल्डमार्ट प्रा.लि., एफ–213/डी, तृतीय तल, एम.बी. रोड़, लाडो सराय, नई दिल्ली से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 14–12–2006 पर सम्यक विचारोपरान्त मै. बुलन्द बिल्डमार्ट प्रा.लि. द्वारा ग्राम–खेड़ी मुबारकपुर, तहसील–लक्सर, जनपद–हरिद्वार में क्रय अनुबन्धित 45.27 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में अंकित हैं, को एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. बुलन्द बिल्डमार्ट इण्डस्ट्रियल इस्टेट नाम से निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित/विनियमित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला–हरिद्वार के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/Areas के रूप में ग्राम–खेड़ी मुबारकपुर, तहसील–लक्सर, जनपद–हरिद्वार के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. औद्योगिक आस्थान के विकास के लिए, **अनुलग्नक–2** में दिये गये जी. आई.डी.सी.आर.–2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।

4. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा।

5. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों, यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी, का पालन किया जायेगा।

7. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 395 **/उक्त/तद्दिनांकित**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हरिद्वार।
13. श्री प्रशान्त पाण्डा, निदेशक, मै. बुलन्द बिल्डमार्ट प्रा.लि., एफ–213/डी, तृतीय तल, एम.बी. रोड़, लाडो सराय, नई दिल्ली, प्रवर्तक, मै. बुलन्द बिल्डमार्ट इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–खेड़ी मुबारकपुर, तहसील–लक्सर, जनपद–हरिद्वार।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 3950/औ.वि./07–उद्योग/06–07
दिनांक : देहरादून : 26 दिसम्बर, 2006

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. बुलन्द बिल्डमार्ट इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–खेड़ी मुबारकपुर, तहसील–लक्सर, जनपद–हरिद्वार।

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
खेड़ी मुबारकपुर, तहसील–लक्सर	20 से 26, 28, 41, 42, 44 से 48, 50 से 52, 70 से 78	45.27

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 417 **/औ.वि./07–उद्योग/2006–07**
दिनांक : देहरादून : ~~दिसम्बर, 2006~~
2 जनवरी, 2007

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्यमसिंहनगर के पत्रांक–2285/जि.उ.के./औ.आ./2006–07 दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री अनिल केजरीवाल, निदेशक, मै. उत्तर डवलपमैन्ट प्रा.लि., 71 फ्रैन्ड्स कॉलोनी (वेस्ट), नई दिल्ली द्वारा ग्राम–महुवाखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर) में क्रय अनुबन्धित 66.12 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में अंकित हैं, को एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. उत्तर इण्डस्ट्रियल इस्टेट नाम से निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित/विनियमित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला–उद्यमसिंहनगर के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/Areas के रूप में ग्राम–महुवाखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. औद्योगिक आस्थान के विकास के लिए, **अनुलग्नक–2** में दिये गये जी.आई.डी.सी.आर.–2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।

4. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा।

5. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों, यथा: प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी, का पालन किया जायेगा।

7. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 417 /उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्यमसिंहनगर।
13. श्री अनिल केजरीवाल, निदेशक, मै. उत्तर डवलपमैन्ट प्रा.लि., 71 फ्रैन्ड्स कॉलोनी (वेस्ट), नई दिल्ली, प्रवर्तक, मै. उत्तर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–महुवाखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर)।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 417 /औ.वि./07–उद्योग/06–07
दिनांक : देहरादून : ~~दिसम्बर, 2006~~
2 जनवरी 2007

निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :

मै. उत्तर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–महुवाखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर (जिला–उद्यमसिंहनगर)।

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
महुवाखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर	924 से 927, 929/2, 930, 933, 934, 936, 937, 938/1, 938/2, 955/1 से 955/3, 959/3, 960, 961/2, 962/1, 962/2, 964, 965, 966, 967/1, 967/2, 1112, 1154, 1155, 1157, 1159/1, 1159/2	66.12

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या: 4615/VII-2/378–उद्योग/2007
देहरादून: दिनांक: 22 जनवरी, 2008

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–11/औ0वि0/07–उद्योग/2004 तथा शासनादेश संख्या–940/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय की संस्तुति पत्रांक: 1731/उ0नि0–नि0औ0आ0/2007–08 दिनांक 24, अगस्त, 2007 के सन्दर्भ में मै0 जे0एम0जे0इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, सदगरू प्लाजा विल्डिंग, राजपुर रोड, जाखन, देहरादून को ग्राम शिकारपुर, तहसील रूड़की व ग्राम खेमपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में क्रय/क्रय अनुबन्धित कुल 49.20 एकड़ भूमि जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
शिकारपुर, व खेमपुर तहसील रूडकी	549, 550, 551, 555, 556, 557, 563, 578, 579, 580, 583, 577, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 552, 561, 562, 584, 591, 537, 538, 539, 540, 545, 546, 131, 134म, 137, 135, 154, 169, 170, 171, 172	49.20

1. तालिका में उल्लिखित भूमि के खसरा संख्या–549, 550, 551, 555, 556, 557, 563, 578, 579, 580, 583, 577, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 552, 561, 584, 591,562 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/2003 सी0ई0 दिनांक 10, जून, 2003 के Annexure-II में जिला हरिद्वार के अन्तर्गत Category-D Expansion of existing Industrial Estate के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयो (**नकारात्मक सूची के कियाकलापों को छोड़कर**) को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा। आस्थान के खसरा संख्या– 537, 538, 539, 540, 545, 546, 131, 134म, 137, 135, 154, 169, 170, 171, 172 भूमि किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत चिन्हित/अधिसूचित नहीं है, जिन पर केवल थ्रस्ट उद्योगों की स्थापना पर ही विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2– औद्योगिक आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (1) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा।

3– इस औद्योगिक आस्थान की 20.66 एकड़ भूमि प्रवर्तक कम्पनी तथा उसकी
[illegible]

कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा तथा तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

4– औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

5– प्रस्तावित कय अनुबन्धित भूमि आवेदक के पक्ष में नियमानुसार कय करने के उपरान्त ही उक्त भूमि निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित मानी जायेगी अर्थात यदि आवेदक द्वारा कय अनुबंधित भूमि के लिए कय की अनुमति हेतु आवेदन नहीं दिया गया है, तथा अनुमति नियमतः वांछित है, तो प्रवर्तक शासन से भूमि कय की अनुमति प्राप्त करेंगे।

6– आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

7– निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किये जा रहे उद्योगों अथवा प्रतिबन्धित सूची के सम्मिलित उद्योगों की स्थापना नहीं की जायेगी।

8– प्रस्तावित स्थल पर सभी अवस्थापना सुविधाओं, यथाः बिजली, पानी, सड़क, नालियों का निर्माण इत्यादि के विकास का कार्य स्वयं प्रवर्तक द्वारा किया जायेगा।

9– औद्योगिक आस्थान में स्थापित किये जाने वाले सभी आवंटियों से यह अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि आस्थान में स्थापित किये जाने वाली औद्योगिक इकाईयों में 70 प्रतिशत नियमित रोजगार प्रदेश के स्थायी लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की (Sale Deed) में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

10– प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरों, विपणन तथा विकास आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

11– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

12– मै0 जे0एम0जे0इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के अन्तर्गत आस्थान में स्थापित होने वाली इकाईयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य सम्पूर्ण सुविधाओं के

तथा प्रस्तावित आस्थान में राज्य सरकार के स्तर से कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

13– निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के कियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 1615 (1)/VII-2/378–उद्योग/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महादेय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. मै0 जे0एम0जे0इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, सदगरू प्लाजा बिल्डिंग, राजपुर रोड़, जाखन, देहरादून
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 1539/VII-II/378-उद्योग/07
देहरादूनः दिनांकः 23 अप्रैल, 2008
अधिसूचना/संशोधन

मै0 जे0एम0पी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 ग्राम शिकारपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार के पक्ष में निजी औद्योगिक आस्थान अधिसूचित किये जाने विषयक अधिसूचना संख्याः 4615/VII-II/378-उद्योग/2007 दिनांक 22 जनवरी, 2008 में आंशिक संशोधन करते हुये अधिसूचित खसरा संख्याः 552, 561, 562, 591 कुल 27.8 बीघा के स्थान पर निम्न तालिका में अंकित खसरा संख्याओं को श्री राज्यपाल महोदय अधिसूचित/नियमित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल(बीघा में)
शिकारपुर,तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार	612, 613, 614	26.9

1– शासनादेश दिनांक 22–1–2008 के क्रमांक–5 के क्रम में प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित क्रय अनुबन्धित भूमि का नियमानुसार विक्रय पत्र अपने पक्ष में निष्पादित करायेंगे, अन्यथा यह अधिसूचना स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी ।

2– प्रस्तावित औद्योगिक स्थान में विद्युत की नियमित आपूर्ति हेतु 32/132 के0वी0ए0 विद्युत उप केन्द्र जिसकी भी आवश्यकता होगी प्रवर्तकों द्वारा स्वयं के व्यय पर बनाया जायेगा।

3– उक्त अधिसूचना संख्याः 4615/VII-II/378-उद्योग/2007 दिनांक 22 जनवरी, 2008 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, अधिसूचना में इंगित शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

([illegible])
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 1539(1)/VII-II/378-उद्योग/2007 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग),उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड [illegible], ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. [illegible] उद्योग [illegible], देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. [illegible] निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. [illegible], उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. मै0 जे0एम0पी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 [illegible]
15. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

([illegible])
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 221 /VII-II/144-उद्योग/08
देहरादूनः दिनांकः 17 जुलाई, 2008

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 11/औ0वि0/07–उद्योग/2004 तथा शासनादेश संख्याः 940/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय की संस्तुति पत्रांक संख्याः 529/उ0नि0 (पांच) नि0औ0आ0/2008–09 दिनांक 6 मई, 2008 के सन्दर्भ में मै0 ऐरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 को इण्डस्ट्रियल पार्क–IV की स्थापना हेतु जिला हरिद्वार, तहसील हरिद्वार, ग्राम बेगमपुर में क्रय/क्रय अनुबन्धित कुल 88.92 एकड़ भूमि जिसके खसरा संख्या निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों/शर्तों** के अधीन श्री राज्यपाल महोदय निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
बेगमपुर, तहसील व जनपद हरिद्वार,	108 से 219	88.92

(1) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला हरिद्वार के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Area/Estates के रूप में ग्राम बेगमपुर तहसील/जिला हरिद्वार के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि के खसरा संख्या–108 से 219 कुल रकबई 81.5042 एकड (32.9830 है0) पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों (नकारात्मक सूची को छोड़कर) को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा। ग्राम बेगमपुर, तहसील–हरिद्वार के खसरा नम्बर–84, 107, 220 कुल रकबई–7.4157 एकड़ (3.0010 है0) भूमि किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं है, जिस पर आस्थान में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए केवल अवस्थापना विकास सुविधायें विकसित की जायेंगी।

(2) GIDCR-2005 के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

(3) इस औद्योगिक आस्थान की भूमि आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर जी0आई0डी0सी0आर0–2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

(4) औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सम्बन्ध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पॉवर कॉरपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

(6) सभी आवंटियों से यह अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की (Sale Deed)/ लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

(7) निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथा, प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयॉं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी।

(8) प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरों, विपणन तथा विकास आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) परियोजना के लिये विद्युत पर्यावरण संरक्षण हेतु ईटीपी की व्यवस्था तथा विद्युत सब स्टेशन का निर्माण भी स्वयं के व्यय पर करनी आवश्यक होगी।

(10) उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या:2201 (1)/**VII-II/144**-उद्योग/2008 तद्दिनांकित।</u>
<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग),उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध, निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. अध्यक्ष, मै0 ऐरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, सी–3, शिवालिक नगर, हरिद्वार।
15. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा) 17/7
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 2718 / VII-II/630-उद्योग / 2008
देहरादूनः दिनांकः 26 अगस्त, 2008

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 11/औ0वि0/07–उद्योग/2004 तथा शासनादेश संख्याः 940–उद्योग/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आरथान अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति–निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र संख्याः 1472/उ0नि0 (पॉच)–औ0वि0/ 2008–09 दिनांक 07 जुलाई, 2008 के सन्दर्भ में मै0 वर्धमान इण्डस्ट्रियल इस्टेट को ग्राम बहादरपुर सैनी, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में कय अनुबन्धित कुल 31.890 हैक्टेअर भूमि जिसके खसरा नम्बर निम्न तालिका में अंकित हैं, को **निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)
ग्राम–बहादरपुर सैनी तहसील–रूड़की	50, 208, 207, 51, 52, 54, 55, 143, 59, 75, 60, 63, 64, 65, 192, 66, 68, 69, 71, 78, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 90, 87, 91, 92, 93, 106, 109, 199, 110, 112, 115, 113, 114, 116, 117, 120, 123, 216, 125, 193, 147, 195, 196, 197, 201, 200, 203, 204, 205, 206, 212, 213, 214, 215, 217, 211, 218, 191, 102, 101, 95, 97, 98, 103, 99, 104, 188, 111, 105, 202,	31.890

2– उक्त तालिका में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्याः 50/2003–के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के 10 जून, 2003 के Annexure-II तथा अधिसूचना संख्याः 27/2005–सी0ई0 दिनांक 19 मई, 2005 में जिला हरिद्वार के अन्तर्गत Category-C Industrial Activity in Non-Industrial Area के रूप में ग्राम बहादरपुर सैनी, तहसील रूड़की के अन्तर्गत अधिसूचित हैं जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों **(नकारात्मक सूची के उद्योगों को छोड़कर)** को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा। भूमि के खसरा संख्याः 44, 45 कुल रकबई–1.92 है0 किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं है तथा इस भूमि पर केवल थ्रस्ट सैक्टर के उद्योगों पर ही घोषित औद्योगिक पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

3– GIDCR-2005 के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4– इस औद्योगिक आरथान की भूमि, आरथान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और तत्पश्चात औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

5– औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आरथान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आंवटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के संबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

6– आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

7– सभी आवंटियों से यह अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की (Sale Deed)/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

8– निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथा प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थ,पना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

9– प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरों, विपणन तथा विकास आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

10– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 2718 (1)/VII-II-/630–उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. मै0 वर्धमान इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम बहादरपुर सैनी, दिल्ली–हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार ।
15. NIC Uttarakhand : सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा) 17/08
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 1724/VII-II/80-उद्योग/2008
देहरादूनः दिनांकः 04 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2008

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 11/औ0वि0/07–उद्योग/2004 तथा शासनादेश संख्याः 940–उद्योग/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति–निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र संख्याः 5397/उ0नि0(पॉच)–औ0वि0/2007–08 दिनांक 31 मार्च, 2008 के सन्दर्भ में मै0 हरिद्वार इस्टेट्स प्रा0लि0, को जिला हरिद्वार, तहसील रूड़की, ग्राम बाबली कलंजरी में 28.571 तथा ग्राम शान्तरशाह में 13.733 हैक्टेअर क्रय अनुबन्धित भूमि जिसके खसरा नम्बर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर/रकबा	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)
ग्राम–बाबली कलंजरी तहसील–रूड़की	329 रकबा 0.658 है0, 330 रकबा 1.383है0, 331 रकबा 0.322है0, 332 रकबा 0.248है0, 338 रकबा 0.184है0, 339 रकबा 0.164है0, 340 रकबा 0.246है0, 341 रकबा 2.391है0, 333 रकबा 0.269है0, 343 रकबा 0.552है0, 368 रकबा 0.358है0, 344 रकबा 0.620है0, 350 रकबा 0.075 है0, 367 रकबा 0.380है0, 345 रकबा 0. 270है0, 346 रकबा 0.270है0, 348 रकबा 0.092है0, 349 रकबा 0.084है0, 357 रकबा 0.098है0, 413 रकबा 0.377है0, 384 रकबा 0.732है0, 400 रकबा 0.803है0, 389 रकबा 0.108है0, 411 रकबा 0.161है0, 412 रकबा 0.161है0, 414 रकबा 0.116है0, 388 रकबा 0.108है0, 384 रकबा 0.596है0, 460 रकबा 0.396है0, 356 रकबा 0.029है0, 373 रकबा 0.050है0, 374 रकबा 0.047है0, 376 रकबा 0.071है0, 392 रकबा 0.325है0, 371 रकबा 1.668है0, 436 रकबा 0.326है0, 346 रकबा 2.047है0, 383 रकबा 0.910है0, 365 रकबा 2.188है0, 456 रकबा 0.102है0, 458 रकबा 0. 101है0, 336 रकबा 0.359है0, 337 रकबा 0.364है0, 355 रकबा 0.029है0, 352 रकबा 0.059है0, 353 रकबा 0.059है0, 354 रकबा 0.123है0, 369 रकबा 0.129है0, 370 रकबा 0.127है0, 362 रकबा 0.290है0, 378 रकबा 0.071है0, 377 रकबा 0.071है0 379 रकबा 0.206है0, 380 रकबा 0.205है0, 387 रकबा 0.370है0, 395 रकबा 0.103है0, 396 रकबा 0.103है0, 398 रकबा 0.407है0, 399 रकबा 0.083है0, 404 रकबा 0. 047है0, 407 रकबा 0.016 है0, 402 रकबा 0.037है0, 405 रकबा 0.015है0, 406 रकबा 0.015है0, 410 रकबा 0.376है0, 417 रकबा 0.376है0 420 रकबा 0. 707है0, 421 रकबा 0.426है0, 422 रकबा 0.560है0, 423 रकबा 0.061है0, 427 रकबा 0.288है0, 393 रकबा 0.103है0, 394 रकबा 0.103, 424 रकबा 0.104है0, 425 रकबा 0.104है0, 426 रकबा 0.104है0, 464 रकबा 0.458है0, 375 रकबा 0.071है0, 361 रकबा 0. 541है0, 364 रकबा 0.779है0,	28.751
ग्राम शान्तरशाह तहसील–रूड़की	360 रकबा 0.247है0, 361 रकबा 0.247है0, 362 रकबा 0.335है0, 364 रकबा 0. 229है0, 365 रकबा 0.229है0, 366 रकबा 0.466है0, 367 रकबा 0.454है0, 371 रकबा 0.378है0, 372 रकबा 0.585है0, 373 रकबा 1.288है0, 388 रकबा 0.150है0, 346 रकबा 2.047है0, 347 रकबा 0.350है0, 348 रकबा 0.766है0, 349 रकबा 0.702है0, 358 रकबा 1.282है0, 354 रकबा 0.700है0, 355 रकबा 0.015है0, 356 रकबा 0. 015है0, 357 रकबा 0.943है0, 358 रकबा 1.074है0, 369 रकबा 0.464है0, 370 रकबा 0.463है0, 387 रकबा 0.25है0,	13.733

2– ग्राम बाबली कलंजरी स्थित भूमि के खसरा संख्या–329 से 464 मध्ये कुल रकबा–28.571है0 भूमि तथा शान्तरशाह स्थित खसरा संख्या–360 से 362, 364 से 367, 371 से 373 व 388 मध्ये कुल रकबा–5.126है0 भूमि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सख्याः 50/2003–के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला हरिद्वार के अन्तर्गत Category-C Industrial Activity in non- Industrial Area along with Extension (to be notified) शीर्ष के अन्तर्गत अधिसूचित है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या–27/2005 सी0ई0 दिनांक 19 मई, 2005 के Annexure-II में इसे Existing Industrial Activity in Non Industrial Area में स्थापित कर दिया गया है तथा इस अधिसूचना के प्राविधानानुसार Annexure-II में अधिसूचित भूमि पर ही स्थापित औद्योगिक इकाई के पर्याप्त विस्तार तथा नई औद्योगिक इकाई की स्थापना, दोनों ही स्थित में विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा। ग्राम शान्तरशाह स्थित खसरा संख्या–346 से 349, 354 से 358, 369, 370 तथा 387 मध्ये कुल रकबा–8.607 हैक्टेअर भूमि किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिसूचित नहीं है, जिस पर थ्रस्ट सैक्टर उद्योग की स्थापना होने पर ही विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ पात्रता पूर्ण करने पर उपलब्ध होगा।

3– GIDCR-2005 के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4– इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

5– औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आंवटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

6– आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

7– सभी आवंटियों से यह अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की (Sale Deed)/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

8– निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

9– प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्ड़ों की निर्धारित की गई दरों, विपणन तथा विकास आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

10– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 1725 (1)/VII-II-/80–उद्योग/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. श्री हर्षवर्धन शर्मा, प्राधिकृत हस्ताक्षरी, मै0 हरिद्वार इस्टेट्स प्रा0लि0, 287, ई0टी0होस्टल, सेक्टर 2 बी0एच0ई0एल0 रानीपुर, हरिद्वार।
15. NIC Uttarakhand : सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

6/1/07

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग--2

संख्याः 4037/VII-II/159-उद्योग/2008

देहरादूनः दिनांकः 22 दिसम्बर, 2008

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 11/औ0वि0/07–उद्योग/2004 तथा शासनादेश संख्याः 940–उद्योग/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति–निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र संख्याः 361/उ0नि0(पॉच)–औ0वि0/2008–09 दिनांक 28 अगस्त, 2008 के सन्दर्भ में मै0 उद्योग विहार इण्डस्ट्रियल इस्टेट को ग्राम–विचपुरी, तहसील–बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर में कय अनुबन्धित कुल 31.794 एकड़ भूमि जिसके खसरा नम्बर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
ग्राम–विचपुरी, तहसील, बाजपुर	46/1, 46/2, 46/3, 46/5	31.794

2– भारत सरकार की अधिसूचना संख्याः 50/2003–के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत Category-C Industrial Activity in Non-Industrial Area (T0 be Notified along with Extension) के रूप में ग्राम–विचपुरी, तहसील–बाजपुरी के अन्तर्गत कमांक–65 पर अधिसूचित हैं। जिन्हें भारत सरकार वित्त मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या–27/2005–सी0ई0 दिनांक 19 मई, 2005 के एनेक्चर–2 के प्रस्तर–2 (ए व बह) के प्राविधानानुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों **(नकारात्मक सूची के उद्योगो को छोड़कर)** को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज का अर्हता पूर्ण करने पर लाभ अनुमन्य होगा।

3– GIDCR-2005 के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4– इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

5– औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आंवटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

6– आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी।

7– भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10 जून, 2003 में राजस्व ग्राम थ्वाचपुरी के स्थान पर ग्राम विचपुरी के प्रतिस्थापन हेतु प्रवर्तक द्वारा स्वयं अनुश्रवण कर कार्यवाही की जायेगी। इसके संशोधन न होने पर पैकेज की [illegible]

8– सभी आवंटियों से यह अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की (Sale Deed)/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

9– निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथा: प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

10– प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरों, विपणन तथा विकास आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड को समय--समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

11– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 4637(1)/VII-II-/226–उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधमसिंहनगर।
14. श्री सुबोध अग्रवाल, प्रवर्तक, मै0 उद्योग विहार, इण्डस्ट्रियल डेवलपर्स, ग्राम–बिचपुरी, तहसील बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर
15. NIC Uttarakhand : सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 2677/VII-II/198-उद्योग/2008
देहरादूनः दिनांकः 4 फरवरी, 2009

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 387/697–उ0नि0/पी0एस0/आई0डी0/06 दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा मैगा प्रोजैक्ट्स की स्थापना हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति–निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र संख्याः 766/उ0नि0(पॉच)–मैगा प्रोजैक्ट/2008–09 दिनांक 22 मई, 2008 के सन्दर्भ में मै0 कान्फिडेन्स इण्डस्ट्रियल इस्टेट के पक्ष में ग्राम विकमपुर तहसील बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में कय अनुबन्धित कुल 32.88 एकड भूमि को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)
ग्राम–विकमपुर तहसील–बाजपुर,	235/1/1 से 235/1/4, 233/2/2, 235/2/3, 235/3, 235/4, 239/3	32.88

2– उक्त तालिका में अंकित खसरा संख्या भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सख्याः 50/2003–के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के अनुलग्नक–2 की क्रमांक–11 में जिला ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत कैटेगरी–बी Proposed Industrial Area पर अधिसूचित भूमि पर स्थापित की जाने वाली नई औद्योगिक इकाईयों **(नकारात्मक सूची के उद्योगो को छोड़कर)** को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

3– GIDCR-2005 के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4– इस विशेष औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

5– कय की जाने वाली भूमि का उपयोग सी0एन0जी0 सिलेण्डर्स, ऑटो एल0पी0जी0 सिलेण्डर्स, एल0पी0जी0, सिलेण्डर्स, ऑटोमैटिक मीटर्स के विर्निमाण के लिये किया जायेगा।

6– विशेष औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आंवटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

7– आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

38 (ii)

8– कम्पनी उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित में देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत नियमित रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की क्रय विलेख पत्र **(Sale Deed)**/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

9– विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

10– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 2677-(1)/VII-II-/198-उद्योग/2008 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधमसिंहनगर।
14. प्रवर्तक, मै0 कान्फिडेन्स इण्डस्ट्रियल इस्टेट, द्वारा कान्फिडेन्स पैट्रोलियम (इण्डिया) लि0, डी0आर0 कन्टेनर्स, जीजामातानगर, माहुल चेम्बूर, मुम्बई।
15. **NIC Uttarakhand** : सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 473 /VII-2/83–उद्योग/2009
देहरादूनः दिनांकः 20 मार्च, 2009

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–11/औ0वि0/07–उद्योग/2004 तथा शासनादेश संख्या–940/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान के अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय की संस्तुति पत्रांकः 5250/उ0नि0–नि0औ0आ0/2008–09 दिनांक 4 मार्च, 2009 के संन्दर्भ में मै0 पतंजलि आयुर्वेद लि0 को ग्राम–मुस्तफाबाद, तहसील व जिला हरिद्वार में क्रय कुल 56.468 है0 भूमि जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)
मुस्तफाबाद तहसील–हरिद्वार	155/1, 156, 157, 161/2, 161/4, 161/5, 162, 163, 164/2, 164/1, 164/1एम, 165/2, 170, 184, 186, 187, 188एम , 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217एम, 218/1, 218/2, 224/2, 224/3, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 243, 244, 245, 246/2, 246/3, 246/4, 247, 254, 255/1,	56.468

2. ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला हरिद्वार स्थित खसरा संख्याः 184 से 229, 231 से 238 व 256 से 267 के मध्य आवृत्त होने भूमि के खसरा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/2003 सी0ई0 दिनांक 10, जून, 2003 के Annexure-II में जिला हरिद्वार के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estate/Area के रूप में क्रमांक–3 के स्तम्भ–4 में अधिसूचित हैं। अधिसूचित खसरा नम्बरों में स्थापित होने वाले उद्योगों **(नकारात्मक सूची के क्रियाकलापों को छोड़कर)** को भारत सरकार, द्वारा घोषित विशेष पैकेज में प्रदत्त सुविधाओं का का लाभ पात्रता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा। खसरा संख्या–155/1, 156, 157, 161/2, 161/4, 161/5, 162, 163, 164/2, 164/1, 164/1एम, 165/2, 170, 239, 241, 243, 244, 245, 246/2, 246/3, 246/4, 247, 254, 255/1 किसी भी श्रेणी के अंतर्गत अधिसूचित नहीं हैं। अतः इस भूमि पर भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(10)/2001–एन0ई0आर0 दिनांक 7 जनवरी, 2007 Annexure-II में थ्रस्ट सैक्टर क्रियाकलापों के अन्तर्गत क्रमांक–5 के स्तम्भ–2 में अंकित Food Processing Industry excluding those included in the negative list (एक्साइज क्लासिफिकेशन संख्या–19.01 से 19.04 तक) पर ही भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज में प्रदत्त सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

3. **भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के पत्र दिनांक 16.12.2008 से मैगा फूड पार्क की स्थापना हेतु दिये गये सैद्धान्तिक अनुमोदन तथा विहित शर्तों/औपचारिकताओं का पालन करने पर ही आवेदक कम्पनी को भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रदत्त सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।**

4. GIDCR-2005- के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

5– इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा तथा तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

26.3.09

26 (ii)

6. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

7. आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/ अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

8. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयॉं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किये जा रहे उद्योगों अथवा प्रतिबन्धित सूची के सम्मिलित उद्योगों की स्थापना नहीं की जायेगी।

9. **सभी आवंटियों यह अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।**

10. प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरों, विपणन तथा विकास आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

11. यह अधिसूचना इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जा रही है कि उक्त स्थल पर स्थलीय वास्तविक कियान्वयन आचार संहिता की समाप्ति पर ही प्रारम्भ किया जायेगा।

12. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(एन0के0जोशी)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 473 (1)/VII-2/83–उद्योग/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महादेय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. प्रबन्ध निदेशक, मै0 पतंजलि आयुर्वेद लि0, ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला हरिद्वार।
15. NIC, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना को बेवसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0के0जोशी)
अपर सचिव।

Annexure-

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग--2

संख्या 2039 / VII-II/09 / 204-उद्योग / 2009

देहरादूनः दिनांकः 04 नवम्बर 2009

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-387 / 697--उ0नि0 / पी0एस0 / आई0डी0 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति / दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्रांकः 2522 / उ0नि0-मैगा प्रोजेक्ट / 09--10 दिनांक 22 अगस्त 2009 के सन्दर्भ में मै0 श्रावन्थी इनर्जी प्रा0 लि0 [illegible] राईडर हाउस, 136, सेक्टर-44 गुडगॉव को ग्राम-खाईखेड़ा तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर में मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना के अंतर्गत **"Generation and Transmission of Electricity Energy Product in Gas Based Thermal Power Plants"** इकाई की स्थापना हेतु कुल अनुबन्धित 46.7532 एकड़ भूमि को विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने हेतु जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित / अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)
ग्राम- खाईखेड़ा तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर।	7, 12, 15, 16,1 7, 18, 19 एवं 40	46.7532 एकड़

2 उक्त तालिका में अंकित खसरा भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-50 / 2003 सी0ई0 दिनाक 10 जून, 2003 में किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं है। अतः इस भूमि पर स्थापित होने वाले उद्योग को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

3 GIDCR-2005- के पृष्ठ संख्या--34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों / उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4 इस विशेष औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः धारा-154(4)(3)(V) के अन्तर्गत शासन से भूमि क्रय की अनुमति प्राप्त कर आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR--2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू--उपयोग से औद्योगिक भू--उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के [illegible] मानचित्र उत्तर खण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

5 औद्योगिक आस्थान के रख--रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य [illegible] का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान [illegible] जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के संबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी [illegible]

6 विशेष आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति / अनुमति / अनुमोदन / अनापत्ति, आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक / कम्पनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

7 क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग **"Generation and Transmission of Electricity Energy Product in Gas Based Thermal Power Plants"** आदि उत्पादों के विनिर्माण की इकाई की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

8- निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिए भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि में से कम्पनी द्वारा न्यूनतम 30 एकड़ भूमि (in continuation) स्वयं कम्पनी के नाम क्रय करनी होगी।

9 गैस बेस्ड पॉवर प्लांट की स्थापना, ऊर्जा उत्पादन एवं संचारण के लिए यदि राज्य सरकार की ऊर्जा नीति/प्रभावी नियमों/कानूनों के अनुसार कोई शर्त उल्लिखित की जानी हो तो उसे भूमि क्रय के अनुमति पत्र में उल्लेख किया जा सकता है।

10. आवेदक इकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

11. विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों यथा: प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना विशेष औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी।

12. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी०सी०शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या-2039 (1)/ VII-II/09/204 उद्योग/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2 स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4 संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5 निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय देहरादून।
6 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7 मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8 अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9 जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
10 प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, 2-न्यू कैण्ट रोड, देहरादून।
11 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12 सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून
13 महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उधमसिंहनगर।
14 मै0 श्रावन्थी इनर्जी प्रा0 लि0 3rd फ्लोर, राईडर हाउस, 136, सेक्टर-44 गुड़गाँव।
15 NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वेबसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
16 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी०सी०शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 1651 / VII-II/09 / 87–उद्योग / 2009
देहरादूनः दिनांक 04 मार्च 2010

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–11 / औ0वि0 / 07–उद्योग / 2004 दिनांक 27 जनवरी 2004 तथा शासनादेश संख्या–532 / औ0वि0 / 07–उद्योग / 2004 दिनांक 23 अगस्त 2004 एवं शासनादेश संख्या–940 / औ0वि0 / 07–उद्योग / 2004–05 दिनांक 9 / 10 नवम्बर 2004 के द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति / दिशा निर्देशों एवं अधिसूचना संख्या 488 / सात–2 / 08 दिनांक 29.2.2008 के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्रांकः4779 / उ0नि0(पांच)–नि0औ0आ0 / 08–09 दिनांक 3 जनवरी 2009 के सन्दर्भ में मॉ सुरकण्डा देवी औद्योगिक क्षेत्र, सिल्ला, पट्टी सकलाना, तहसील धनोल्टी, टिहरी गढ़वाल को ग्राम–सिल्ला, तहसील धनोल्टी जिला टिहरी गढ़वाल में जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित है, को औद्योगिक आस्थान के रूप में विनियमित / अधिसूचित किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)
ग्राम– सिल्ला, तहसील–धनोल्टी जिला–टिहरी गढ़वाल	2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2641, 2642, 2643, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2658, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766 2767, 2768, 2779, 2780, 2942, 2943, 2944, 2951, 2952, 2955, 3129, कुल खेत नं0 65	0.738 हैक्टेअर
	2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, कुल खेत नं0 10	0.095 हैक्टेअर
	2611, 2612, 2613, 2614 2615 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, कुल खेत नं0 12	0.122 हैक्टेअर
	2671, 2672, 2673, 2674, 2679, 2680, 2681, 2682, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2761, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, कुल खेत नं0 24	0.181 हैक्टेअर
	2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2817 कुल खेत नं0 7	0.050 हैक्टेअर
	3136, 3143, 3147, 3148, 3151, 3152, 3161, 3162, 3165, 3166, कुल खेत नं0 10	0.162 हैक्टेअर
	3134, 3135, 3137, 3145, 3146, 3149, 3150, 3154, 3155, कुल खेत नं0–9	0.131 हैक्टेअर

	2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, कुल खेत नं0–12	0.067 हैक्टेअर
	2805, 2806, 2807, 2814, 2815, 2816, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2828, 2829, 2830, 2837, 2840, 2841, 2855, 2856, 2857, 2859, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868 2869, 2870, कुल खेत नं0–31	0.187 हैक्टेअर
	2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2823, 2824, 2825, 2838, 2839, 2842, 2843, 2844, 2846, 2847, 2848, 2849, 2860 कुल खेत नं0–19	0.095 हैक्टेअर
	2826, 2827, 2852, 2853, 2854, 2858 कुल खेत नं0–6	0.049 हैक्टेअर
	2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896 कुल खेत नं0–13	0.050 हैक्टेअर
	कुल 218 खसरा	1.927 हैक्टेअर

1– निजी औद्योगिक आस्थानों हेतु जारी शासनादेश दिनांक 23 अगस्त 2004 से पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु प्रर्वतक संस्था/व्यवसायी को न्यूनतम 5 एकड़ भूमि की व्यवस्था का प्राविधान किया गया था। औद्योगिक विकास अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/सात– 2/08 दिनांक 29 फरवरी 2008 से पर्वतीय क्षेत्रों में निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिए भूमि की न्यूनतम सीमा 2 एकड़ निर्धारित करते हुये यह प्राविधान किया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित रूप से अधिसूचित बंजर, असिंचित भूमि अथवा अन्य उपलब्ध स्थानों पर निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन किया जायेगा।

2– विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक विकास अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1961/सात–II/123 उद्योग/08 दिनांक 15.10.2008 तथा अधिसूचना संख्या–2373/सात–II/123 उद्योग/08 दिनांक 15.10.2008 के बिन्दु–4 " औद्योगिक आस्थान अवस्थापना सुविधा विकास प्रोत्साहन राज सहायता नियमावली" में उल्लिखित नियमों उप–नियमों तथा दिशा–निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा तथा विहित पात्रता पूर्ण करने पर ही यह लाभ अनुमन्य होंगे।

3– औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सम्बन्ध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

4– निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथा प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी।

5– प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरों विपणन तथा विकास आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

क्रमशः–3–

6– विशेष आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

7– औद्योगिक आस्थान में सभी आवंटियों से यह अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

8– औद्योगिक आस्थान हेतु प्रस्तावित भूमि भारत सरकार से अधिसूचित नहीं है, अतः भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज में प्रदत्त सुविधाओं का लाभ केवल थ्रस्ट सैक्टर उद्योगों के रूप में चिन्हित गतिविधियों/क्रियाकलापों पर उपलब्ध होगा।

9– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 1651/VII-II/09/87–उद्योग/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग),उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, पटेलनगर, देहरादून।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)।
13. मॉ सुरकण्डा देवी औद्योगिक क्षेत्र, सिल्ला, पट्टी सकलाना, धनोल्टी, टिहरी गढ़वाल।
14. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वेवसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः — /VII-2–17/53–एम0एस0एम0ई0/2016
देहरादून, दिनॉकः 03 अप्रैल, 2017
मई

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–11/औ0वि0/07–उद्योग/2004 दिनांक 27 जनवरी, 2004 तथा शासनादेश संख्या–940/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 एवं अधिसूचना संख्याः–488/VII-II-08/08 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के अधीन जारी नीति/दिशा निर्देशों के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय की संस्तुति पत्रांकः–3305/उ0नि0(पांच)–नि0औ0आ0(विविध)/2016–17 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 एवं पत्रांकः–782/उ0नि0(पांच)–नि0औ0आ0 /2016–17 दिनांक 01 जून, 2016 एवं शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1854/53–एम0एस0एम0ई0/2016 दिनांक 15.12.2016 के संदर्भ में मै0 दुर्गा एसोसिएट्स, श्रीवास शीतलापुरी, पो0 रानीबाग, जिला नैनीताल को तोक मूसाबंगर, ग्राम–बलूनिया हल्दू, विकासखण्ड कोटाबाग (नैनीताल) के खाता सं0 25 के खसरा सं0 1010/2 रकवा 0.269 है0, खसरा सं0 1060 रकवा 0.772 है0, खसरा सं0 1059 मि रकवा 0.087 है0, खसरा संख्या–1071 रकवा 0.487 है0, कुल रकवा **1.615 है0 (कुल 3.99 एकड़ भूमि)** भूमि जिसका खसरा संख्या तालिका में अंकित है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित/विनियमित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (है0 में)
तोक मूसाबंगर, ग्राम–बलूनिया हल्दू, विकासखण्ड कोटाबाग (नैनीताल)	1010/2 1060,1059,1071,	1.615 है0

(1) औद्योगिक आस्थान के विकास के लिए जी0आई0डी0सी0आर0–2012 अथवा राज्य सरकार द्वारा इस हेतु निर्धारित मानकों, विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना आवश्यक होगा।

(2) औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के ले–आउट प्लान/भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (SIDA) से स्वीकृत करायेंगे।

(3) आस्थान को विकसित करने के लिए विभिन्न विभागों जैसे–वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्नि शमन विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/ अनुमोदन/अनापत्ति आदि, जो भी वांछित औपचारिकताएं अपेक्षित होगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी।

(4) औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के संबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) औद्योगिक आस्थान हेतु प्रस्तावित भूमि भारत सरकार से अधिसूचित नहीं है, अतः भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज में प्रदत्त केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान सहायता का लाभ केवल थ्रस्ट सैक्टर उद्योगों के रूप में चिन्हित गतिविधियों/क्रियाकलापों पर ही अनुमन्य होगी।

(6) औद्योगिक आस्थान में सभी आवंटियों से यह अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि उद्योग स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत नियमित रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की Sale Deed में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

(7) निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अंतर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार/राज्य सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित हैं, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

(8) प्रवर्तक द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरों, विपणन तथा विकास आदि के संबंध में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) निजी औद्योगिक आस्थान में उद्यम स्थापना हेतु भूखण्ड क्रय करने पर भी अन्य उद्यमियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1854/53–एम0एस0एम0ई0/2016 दिनांक 15.12.2016 के प्राविधानों के अनुसार स्टॉम्प शुल्क में छूट की सुविधा अनुमन्य होगी।

2 उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबंधों/शर्तों का उल्लंघन करने अथवा किन्ही अन्य कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (Notification) निरस्त की जा सकती है।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 537 (1)/ VII-2-17/53-एम0एस0एम0ई0/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं सम्वर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन), उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, देहरादून।
8. जिलाधिकारी, नैनीताल।
9. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
11. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नैनीताल।
12. मै0 दुर्गा एसोसिएट्स, श्रीवास शीतलापुरी, पो0 रानीबाग, जिला नैनीताल।
13. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव।